

पुनरीक्षित पेंशन पी0पी0ओ0 विवरण

क्र0सं0	कोषागार	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से0नि0 पद	फाइल सं0	पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक
1	कोषागार लखनऊ	श्री घनश्याम दास मित्तल	मुख्य महाप्रबन्धक	10360	1672	07.09.18
2	कोषागार लखनऊ	श्री जगदीश प्रसाद	उपमहाप्रबन्धक	9623	3546	25.10.18
3	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार बंसल	सहायक अभियन्ता	9632	3552	25.10.18
4	कोषागार लखनऊ	श्री शिव पाल सिंह	वरि0 लेखाधिकारी	11755	3555	25.10.18
5	कोषागार लखनऊ	श्री जितेन्द्र मोहन मिश्रा	संयुक्त सचिव	13863	3556	25.10.18
6	कोषागार लखनऊ	श्रीमती संतोष कुमारी सक्सेना पत्नी स्व0 हरी कृष्ण सक्सेना	अधिशाली अभियन्ता	6916	3558	25.10.18
7	कोषागार लखनऊ	श्री राम सजीवन	मुख्य महाप्रबन्धक	13630	3560	25.10.18
8	कोषागार लखनऊ	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	9503	3561	25.10.18
9	कोषागार लखनऊ	श्री बदन सिंह	अनुसेवक	12562	3563	25.10.18
10	कोषागार लखनऊ	श्री ईश्वर चन्द्र सिंह	निजी सचिव	10321	3564	25.10.18
11	कोषागार लखनऊ	श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी	उपमहाप्रबन्धक	10746	3566	26.10.18
12	कोषागार लखनऊ	श्री राजेन्द्र प्रकाश सक्सेना	अनुभाग अधिकारी	10559	3925	14.11.18
13	कोषागार लखनऊ	श्री कुँवर पाल सांडिल्य	अधिशाली अभियन्ता	12565	3930	14.11.18
14	कोषागार लखनऊ	श्री तुलसी राम	अनुभाग अधिकारी	13743	3991	16.11.18
15	कोषागार लखनऊ	श्री विजय कुमार मिश्रा	अनुभाग अधिकारी	12296	3992	16.11.18
16	कोषागार लखनऊ	श्री हुकम सिंह	सहायक अभियन्ता	9854	4009	16.11.18
17	कोषागार लखनऊ	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	संयुक्त सचिव	13080	4029	19.11.18
18	कोषागार लखनऊ	श्री राजेश प्रकाश शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	12686	4033	19.11.18
19	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मीना निगम पत्नी स्व0 श्रवण कुमार निगम	लेखालिपिक	8881	4414	07.12.18
20	कोषागार लखनऊ	श्रीमती कुमुद रस्तोगी पत्नी स्व0 विनोद कुमार रस्तोगी	सहायक अभियन्ता	10632	4608	10.12.18

21	कोषागार कानपुर	श्री जगत प्रकाश त्रिपाठी	सहायक लेखाधिकारी	12443	5951	10.01.19
22	कोषागार सुल्तानपुर	श्री करन सिंह भटनागर	सहा० लेखाधिकारी	7787	5995	10.01.19
23	कोषागार लखनऊ	श्री देवेन्द्र नारायण मिश्रा	मुख्य महाप्रबन्धक	10501	6087	14.01.19
24	कोषागार फिरोजाबाद	श्री मोहम्मद शमीम	लेखाकार	12077	6251	17.01.19
25	कोषागार गोरखपुर	श्री नरेश चन्द्र दास	सहायक लेखाकार	12690	6255	18.01.19
26	कोषागार बलिया	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	11670	6257	18.01.19
27	कोषागार सीतापुर	श्री देवी प्रसाद रस्तोगी	सहा० लेखाधिकारी	10542	6258	18.01.19
28	कोषागार कानपुर	श्री हरीश चन्द्र मिश्र	लेखाकार	12132	6259	18.01.19
29	कोषागार गोरखपुर	श्री रंग लाल	अधिशाली अभियन्ता	12446	6260	18.01.19
30	कोषागार गोरखपुर	श्री मुहम्मद सईद खॉ	अधिशाली अभियन्ता	6039	6267	18.01.19
31	कोषागार वाराणसी	श्रीमती अदिती सेन पत्नी स्व० देवकी कुमार सेन	वरि० सहायक अभियन्ता	7590	6268	18.01.19
32	कोषागार आगरा	श्री चन्द्रकान्त शर्मा	लेखाधिकारी	7375	6269	18.01.19
33	कोषागार मेरठ	श्री देव दत्त	सहा० लेखाधिकारी	13641	6270	18.01.19
34	कोषागार मुरादाबाद	श्री खेमपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	10891	6271	18.01.19
35	कोषागार प्रयागराज	श्री गोपाल बनर्जी	लेखाकार	12094	6273	18.01.19
36	कोषागार मेरठ	श्रीमती कुसुम गर्ग पत्नी स्व० राम दत्त गर्ग	मुख्य अभियन्ता	7572	6276	18.01.19
37	कोषागार गाजियाबाद	श्री अशोक कुमार गायेल	अधिशाली अभियन्ता	10907	6278	18.01.19
38	कोषागार कानपुर	श्री बृज माहन आजमानी	अधीक्षण अभियन्ता	7892	6280	18.01.19
39	कोषागार सिद्धार्थनगर	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता	12163	6281	18.01.19
40	कोषागार उरई	श्री रूप सिंह चौहान	सहायक अभियन्ता	8709	6283	18.01.19
41	कोषागार मुजफ्फरनगर	श्री अरुण कुमार जौहरी	सहायक अभियन्ता	13709	6285	18.01.19
42	कोषागार बुलन्दशहर	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	8656	6286	18.01.19
43	कोषागार वाराणसी	श्री युगल किशोर पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	8870	6287	18.01.19
44	कोषागार बिजनौर	श्री अरुण कुमार जौहरी	सहायक अभियन्ता	11847	6288	18.01.19
45	कोषागार गाजियाबाद	श्री सतीश कुमार यादव	सहायक अभियन्ता	12078	6289	18.01.19
46	कोषागार गाजियाबाद	श्री रामपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	7611	6296	18.01.19

47	कोषागार लखीमपुर	श्री त्रिभुवन दत्त तिवारी	सहायक अभियन्ता	9743	6298	18.01.19
48	कोषागार बरेली	श्री पुरुषोत्तम सरन सक्सेना	लेखाधिकारी	11566	6299	18.01.19
49	कोषागार आगरा	श्री शिशु कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	10039	6300	18.01.19
50	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री अशोक कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता	11877	6310	18.01.19
51	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री राम प्रकाश शर्मा	सहायक अभियन्ता	7626	6352	23.01.19
52	कोषागार सहारनपुर	श्री चॉद किशन गॉधी	सहायक अभियन्ता	9293	6353	23.01.19
53	कोषागार आगरा	श्री गनेशी लाल	सहायक अभियन्ता	12726	6356	23.01.19
54	कोषागार अलीगढ़	श्री मोहम्मद शाहिद	अधिशाली अभियन्ता	13881	6359	23.01.19
55	कोषागार गोरखपुर	श्री राम जी श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11598	6362	24.01.19
56	कोषागार बरेली	श्री ओमदेव यादव	अधिशाली अभियन्ता	9172	6363	24.01.19
57	कोषागार हरदोई	श्री सुरेश कुमार वर्मा	सहायक अभियन्ता	10034	6366	24.01.19
58	कोषागार मेरठ	श्री सीता राम आर्या	सहायक अभियन्ता	6043	6368	24.01.19
59	कोषागार वाराणसी	श्री श्रीराम प्रसाद	अधिशाली अभियन्ता	10036	6369	24.01.19
60	कोषागार मऊनाथभंजन	श्री केदार नाथ श्रीवास्तव	अधिशाली अभियन्ता	7614	6372	24.01.19
61	कोषागार प्रयागराज	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	12098	6377	24.01.19
62	कोषागार शाहजहाँपुर	श्री राम नाथ वर्मा	लेखाकार	12076	6378	24.01.19
63	कोषागार बरेली	श्री गुलशन कुमार	सहा० लेखाधिकारी	13538	6381	24.01.19
64	कोषागार आगरा	श्री पुष्कर नाथ सक्सेना	सहायक अभियन्ता	11532	6384	24.01.19
65	कोषागार आगरा	श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल	अधिशाली अभियन्ता	12827	6385	24.01.19
66	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती कमर रजा पत्नी स्व० मोहम्मद शफी उल्लाह रजा	सहायक अभियन्ता	7612	6388	24.01.19
67	कोषागार वाराणसी	श्री कृष्ण कान्त वर्मा	सहायक अभियन्ता	8586	6414	24.01.19
68	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मालती पाण्डेय पत्नी स्व० राधे श्याम पाण्डेय	वाहन चालक	13431	6520	29.01.19
69	कोषागार लखनऊ	श्रीमती बिमला सिंह पत्नी स्व० रणवीर कुमार सिंह	प्रवर वर्ग सहायक	7751	6711	01.02.19
70	कोषागार लखनऊ	श्री जय प्रकाश नारायण पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता	12907	6832	04.01.19
71	कोषागार मेरठ	श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० राम सिंह	सहायक अभियन्ता	10538	6841	04.02.19

72	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सरोज कमल पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र कमल	समीक्षा अधिकारी	13348	6916	05.02.19
73	कोषागार वाराणसी	श्री मोहन राम	सहायक अभियन्ता	11452	6942	05.02.19
74	कोषागार आगरा	श्री राजपाल सिंह	लेखाकार	13762	6960	05.02.19
75	कोषागार लखनऊ	श्री वी०वी०के० नायर	अधिकासी अभियन्ता	10761	7020	07.02.19
76	कोषागार मेरठ	श्री संसार सिंह पवार	सहायक अभियन्ता	10163	7081	07.02.19
77	कोषागार लखनऊ	श्रीमती कान्ती देवी निगम पत्नी स्व० कैलाश प्रसाद निगम	सहायक लेखाधिकारी	6567	7084	08.02.19
78	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार जैन	उपमहाप्रबन्धक	9307	7085	08.02.19
79	कोषागार वाराणसी	श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	11622	7086	08.02.19
80	कोषागार लखनऊ	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्येन्द्र बहादुर श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	12144	7087	08.02.19
81	कोषागार वाराणसी	श्री छोटे लाल	अधिकासी अभियन्ता	11599	7088	08.02.19
82	कोषागार लखनऊ	श्री सोमनाथ दुबे	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	11616	7089	08.02.19
83	कोषागार लखनऊ	श्री विजय कुमार दीक्षित	अधिकासी अभियन्ता	11658	7090	08.02.19
84	कोषागार देवरिया	श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव पत्नी स्व० कृष्णा नन्द श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11661	7091	08.02.19
85	कोषागार अलीगढ़	श्री विष्णु दत्त गुप्ता	अधिकासी अभियन्ता	11609	7092	08.02.19
86	कोषागार वाराणसी	श्री दूधनाथ उपाध्याय	मुख्य अभियन्ता	11668	7093	08.02.19
87	कोषागार देवरिया	श्री बल्लभ देव नारायण तिवारी	सहायक अभियन्ता	11699	7094	08.02.19
88	कोषागार गाजियाबाद	श्री रवि दत्त तिवारी	मुख्य अभियन्ता	11621	7095	08.02.19
89	कोषागार प्रयागराज	श्री प्रेम सागर	सहायक अभियन्ता	12148	7096	08.02.19
90	कोषागार लखनऊ	श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती	सहायक अभियन्ता	12756	7097	08.02.19
91	कोषागार लखनऊ	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	सहायक लेखाधिकारी	13618	7098	08.02.19
92	कोषागार बरेली	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	11613	7099	08.02.19
93	कोषागार सहारनपुर	श्रीमती मीरा सेन पत्नी स्व० बिजेन्द्र सेन	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	6174	7100	08.02.19
94	कोषागार अलीगढ़	श्री स्वतंत्र कुमार	उपखण्ड अधिकारी	10680	7101	08.02.19

95	कोषागार आगरा	श्री बीरपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	12453	7102	08.02.19
96	कोषागार वाराणसी	श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी स्व० शिव मूरत प्रसाद	अधिकासी अभियन्ता	10681	7103	08.02.19
97	कोषागार वाराणसी	श्रीमती आयशा खातून पत्नी स्व० मो० इस्लाम,	सहायक अभियन्ता	12407	7104	08.02.19
98	कोषागार लखनऊ	श्री शशि प्रकाश भटनागर	वरिष्ठ सहायक अभियन्ता	8376	7105	08.02.19
99	कोषागार बरेली	श्रीमती लक्ष्मी देवी जोशी पत्नी स्व० जीवन चन्द्र जोशी	अधीक्षण अभियन्ता	6295	7106	08.02.19
100	कोषागार लखनऊ	श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० बिन्द्रा प्रसाद	लेखाधिकारी	8192	7107	08.02.19
101	कोषागार वाराणसी	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11502	7108	08.02.19
102	कोषागार कुशीनगर	श्री माधव	अधिकासी अभियन्ता	11625	7109	08.02.19
103	कोषागार लखनऊ	श्रीमती क्षमता सिन्हा	अधीक्षण अभियन्ता	12182	7110	08.02.19
104	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री अम्बा प्रसाद	मुख्य अभियन्ता(स्तर-प्रथम)	7673	7111	08.02.19
105	कोषागार लखनऊ	श्रीमती कुष्णा मलिक पत्नी स्व० पंकज कुमार मलिक	सहायक अभियन्ता	10676	7112	08.02.19
106	कोषागार मेरठ	श्रीमती चमन देवी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश शर्मा	सहायक अभियन्ता	11590	7113	08.02.19
107	कोषागार फतेहपुर	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	10636	7114	08.02.19
108	कोषागार लखनऊ	श्री बिजेन्द्र नाथ	अधिकासी अभियन्ता	10699	7115	08.02.19
109	कोषागार वाराणसी	श्री कैलाश नाथ	सहायक अभियन्ता	11913	7116	08.02.19
110	कोषागार अलीगढ़	श्री बनी सिंह	अधिकासी अभियन्ता	10670	7117	08.02.19
111	कोषागार लखनऊ	श्रीमती महेश्वर मिश्र पत्नी स्व० राज नारायण	समीक्षा अधिकारी	10695	7123	08.02.19
112	कोषागार जौनपुर	श्री निर्मल कुमार जायसवाल	सहायक अभियन्ता	10684	7124	08.02.19
113	कोषागार फैजाबाद	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव पत्नी स्व० माता प्रसाद श्रीवास्तव	लेखाकार	7746	7125	08.02.19
114	कोषागार लखनऊ	श्रीमती शान्ती वर्मा पत्नी स्व० तुलसी राम	अनुचर	8377	7126	08.02.19
115	कोषागार लखनऊ	श्री बसन्त सिंह	मुख्य अभियन्ता	11969	7127	08.02.19

116	कोषागार लखनऊ	श्रीमती राजेश अग्रवाल पत्नी स्व० जे० सी० अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	6339	7128	08.02.19
117	कोषागार लखनऊ	श्री अरुण कुमार रावत पुत्र स्व रामतेज	साइकलो आपरेटर	11448	7129	08.02.19
118	कोषागार लखनऊ	श्री प्रवीन सिंह	अधिशसी अभियन्ता	10749	7130	08.02.19
119	कोषागार लखनऊ	श्री बलवीर सिंह बल	अधीक्षण अभियन्ता	13009	7131	08.02.19
120	कोषागार मेरठ	श्री राधेश्याम गौड़	सहा० लेखाधिकारी	10760	7132	08.02.19
121	कोषागार गाजियाबाद	श्री शमीमुदीन अब्बासी	सहायक अभियन्ता	10741	7133	08.02.19
122	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री ओम प्रकाश	मुख्य अभियन्ता	8277	7134	08.02.19
123	कोषागार गाजियाबाद	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	8623	7135	08.02.19
124	कोषागार बुलन्दशहर	श्री राम अवतार सिंघल	लेखाकार	12908	7136	08.02.19
125	कोषागार मुजफ्फरनगर	श्री प्रेम कुमार अरोरा	वरि० लेखाधिकारी	10748	7137	08.02.19
126	कोषागार लखनऊ	श्री उर्मिला चन्द्रा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र सक्सेना	वरि० लेखाधिकारी	9145	7138	08.02.19
127	कोषागार गोरखपुर	श्री राजेश्वरी प्रसाद	सहायक अभियन्ता	10750	7139	08.02.19
128	कोषागार सोनभद्र	श्री मुनी सिंह कुशवाहा	सहायक अभियन्ता	12867	7140	08.02.19
129	कोषागार मेरठ	श्री वीरेन्द्र नाथ रिख	अध्यक्ष	6609	7141	08.02.19
130	कोषागार लखनऊ	श्री समीर कुमार संरक्षक कु० शिल्पा गुप्ता पुत्री स्व० सुशील कुमार	मुख्य अभियन्ता	7040	7147	08.02.19
131	कोषागार कानपुर	श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा	सहायक अभियन्ता	11691	7265	13.02.19
132	कोषागार लखनऊ	कु० ममता सिंह पुत्री स्व० रघुपति सिंह	अनुसचिव	7763	7279	12.02.19
133	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी स्व० सुमेश चन्द्र	मुख्य अभियन्ता	7909	7287	18.02.19
134	कोषागार मेरठ	श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी स्व० मुरली मनोहर अग्रवाल	अधिशसी अभियन्ता	7809	7306	16.02.19
135	कोषागार लखनऊ	श्री ननकौना प्रसाद	महाप्रबन्धक	10074	7325	12.02.19
136	कोषागार वाराणसी	श्री कृष्ण कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	7851	7331	16.02.19
137	कोषागार लखनऊ	श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी स्व० अनन्त राम तिवारी	लेखाकार	7869	7332	16.02.19

138	कोषागार लखनऊ	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	अनुभाग अधिकारी	7866	7338	15.02.19
139	कोषागार कानपुर	श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी पत्नी स्व० हरी शंकर त्रिपाठी	सहायक लेखाधिकारी	7885	7352	16.02.19
140	कोषागार लखनऊ	श्री चन्दर लाल	लेखाधिकारी	7886	7357	16.02.19
141	कोषागार फैजाबाद	श्री जोगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	7890	7358	15.02.19
142	कोषागार आगरा	श्री प्रमोद कुमार माथुर	अधिकासी अभियन्ता	7249	7359	14.02.19
143	कोषागार लखनऊ	श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर	अधिकासी अभियन्ता	6943	7364	15.02.19
144	कोषागार आजमगढ़	श्री जितेन्द्र नाथ राय	सहायक अभियन्ता	10243	7365	18.02.19
145	कोषागार लखनऊ	श्री शिव बालक सिंह कुशवाहा	सहायक समीक्षा अधिकारी	10835	7373	16.02.19
146	कोषागार गोरखपुर	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	सहायक अभियन्ता	10187	7377	13.02.19
147	कोषागार गोरखपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक अभियन्ता	11441	7378	13.02.19
148	कोषागार वाराणसी	श्री कल्पनाथ सिंह	सहायक अभियन्ता	10764	7379	13.02.19
149	कोषागार गोरखपुर	श्री मधुसूदन प्रसाद	सहायक अभियन्ता	13931	7381	13.02.19
150	कोषागार महोबा	श्री सतीश कुमार उपाध्याय	सहायक अभियन्ता	10767	7382	13.02.19
151	कोषागार लखनऊ	श्री संतोष कुमार गुप्ता	उपमहाप्रबन्धक	10776	7383	13.02.19
152	कोषागार आगरा	श्री कृष्ण कुमार बंसल	सहायक अभियन्ता	10765	7384	13.02.19
153	कोषागार मेरठ	श्री धर्मवीर सिंह डांगर	मुख्य महाप्रबन्धक	10772	7385	13.02.19
154	कोषागार सुल्तानपुर	श्री राम प्रसाद चौहान	सहायक अभियन्ता	10773	7386	13.02.19
155	कोषागार लखनऊ	श्री बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	6659	7387	13.02.19
156	कोषागार गोरखपुर	श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी स्व० दुर्गा लाल श्रीवास्तव	लेखाकार	8627	7388	13.02.19
157	कोषागार लखनऊ	श्री सुहेल अहमद सिद्दीकी	सहायक अभियन्ता	10777	7390	13.02.19
158	कोषागार आजमगढ़	श्री रवीन्द्र नाथ मिश्रा	सहायक अभियन्ता	9157	7392	13.02.19
159	कोषागार बरेली	श्रीमती गीता विष्ट पत्नी स्व० प्रेम सिंह विष्ट	सहायक अभियन्ता	11597	7393	13.02.19
160	कोषागार कानपुर	श्री शौकत अली	सहायक अभियन्ता	11593	7394	13.02.19

161	कोषागार लखनऊ	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अधिकासी अभियन्ता	10645	7395	13.02.19
162	कोषागार कानपुर	श्री गुरुदीप सिंह	सहायक अभियन्ता	13110	7397	13.02.19
163	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० संजीवन लाल श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	7402	7398	13.02.19
164	कोषागार गाजियाबाद	श्री नरेन्द्र कुमार सपरा	सहायक अभियन्ता	13187	7399	13.02.19
165	कोषागार लखनऊ	श्री सुरेन्द्र कुमार सेठ	सहायक अभियन्ता	9973	7403	15.02.19
166	कोषागार लखनऊ	श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी स्व० भगवान गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	7951	7406	18.02.19
167	कोषागार लखनऊ	श्री विनोद कुमार मिश्रा	मुख्य अभियन्ता	7930	7408	20.02.19
168	कोषागार कानपुर	श्री दया शंकर पाण्डेय	अधिकासी अभियन्ता	9866	7423	16.02.19
169	कोषागार कानपुर	श्री शमसुल हई	सहायक अभियन्ता	10130	7428	15.02.19
170	कोषागार रामपुर	श्री मुकुन्द लाल आहूजा	लेखाकार	7970	7430	17.02.19
171	कोषागार मेरठ	श्रीमती बिलमा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र सिंह	मुख्य अभियन्ता	7975	7435	16.02.19
172	कोषागार लखनऊ	श्री राम मनोहर लाल दीक्षित	अधिकासी अभियन्ता	7355	7437	16.02.19
173	कोषागार लखनऊ	श्रीमती रतन श्रीवास्तव पत्नी स्व० अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	7910	7438	18.02.19
174	कोषागार लखनऊ	श्री शिव पाल सिंह	अधिकासी अभियन्ता	7686	7442	15.02.19
175	कोषागार मुरादाबाद	श्री मुजफ्फर अली	सहायक अभियन्ता	7946	7453	18.02.19
176	कोषागार लखनऊ	श्री नन्दू राम	अधिकासी अभियन्ता	7184	7454	18.02.19
177	कोषागार लखनऊ	श्री शारदा बक्श सिंह	अधिकासी अभियन्ता	7634	7455	18.02.19
178	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मुमताज बानो पत्नी स्व० इतरत हुसैन	सहायक लेखाधिकारी	7950	7457	18.02.19
179	कोषागार लखनऊ	श्रीमती राबिया बेगम पत्नी स्व० उसमान अली	लेखाधिकारी	7937	7458	18.02.19
180	कोषागार कानपुर	श्री चरणजीत सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	7933	7459	18.02.19
181	कोषागार गाजियाबाद	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	8162	7477	14.02.19
182	कोषागार कानपुर	श्री प्रवेश चन्द्र अग्रवाल	अधिकासी अभियन्ता	11012	7481	15.02.19
183	कोषागार लखनऊ	श्री महेश कुमार सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता	13729	7482	15.02.19

184	कोषागार लखनऊ	श्री त्रिलोक नाथ सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	11631	7483	15.02.19
185	कोषागार लखनऊ	श्रीमती वीना अग्रवाल पत्नी स्व० विजय कुमार अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	8275	7487	15.02.19
186	कोषागार लखनऊ	श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता	सहायक अभियन्ता	11122	7500	18.02.19
187	कोषागार लखनऊ	श्री शिव शंकर त्रिपाठी	सुरक्षा प्रहरी	13403	7502	18.02.19
188	कोषागार लखनऊ	श्रीमती ज्योति सिंह पत्नी स्व० राजेश श्रीनेत	सहायक अभियन्ता	13860	7503	18.02.19
189	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा	मुख्य महाप्रबन्धक	10205	7505	18.02.19
190	कोषागार गोरखपुर	श्री राम सकल यादव	अधिशाली अभियन्ता	11121	7506	18.02.19
191	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार हंगल	निदेशक	8542	7509	18.02.19
192	कोषागार अलीगढ़	श्री धर्मेश्वर नाथ	उपमहाप्रबन्धक	9427	7510	18.02.19
193	कोषागार मऊ	श्री रघुपति राम	सहायक अभियन्ता	9677	7514	18.02.19
194	कोषागार मेरठ	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० भूपाल सिंह	मुख्य अभियन्ता	6165	7515	18.02.19
195	कोषागार हापुड़	श्री हरि शंकर शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	8297	7516	18.02.19
196	कोषागार देहरादून	श्री रवीन्द्र प्रकाश आर्य	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	8137	7517	18.02.19
197	कोषागार लखनऊ	श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	9566	7519	18.02.19
198	कोषागार कानपुर	श्रीमती सरोजनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11977	7527	20.02.19
199	कोषागार लखनऊ	श्री मोती लाल चौबे	सहायक अभियन्ता	12807	7528	20.02.19
200	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री वी० पी० गर्ग	मुख्य अभियन्ता	6313	7529	20.02.19
201	कोषागार गोरखपुर	श्रीमती सुगनी देवी पत्नी स्व० कुबेर प्रसाद सिंह	अधिशाली अभियन्ता	6227	7530	20.02.19
202	कोषागार सोनभद्र	श्रीमती खादिजा बेगम पत्नी स्व० जहीर बेग	सहायक अभियन्ता	6230	7531	20.02.19
203	कोषागार लखनऊ	श्री हरिश्चन्द्र	कार्यालय सहायक-द्वितीय	11607	7533	20.02.19
204	कोषागार लखीमपुर	श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० उमेश प्रसाद श्रीवास्तव	अधिशाली अभियन्ता	9305	7534	20.02.19
205	कोषागार वाराणसी	श्री राम जी राम	सहायक अभियन्ता	12325	7535	20.02.19

206	कोषागार लखनऊ	श्री सुरेन्द्र नाथ कुदेसिया	सहायक अभियन्ता	11309	7537	20.02.19
207	कोषागार लखनऊ	श्री छेदी राम	अधिशाली अभियन्ता	11258	7538	20.02.19
208	कोषागार मेरठ	श्री सुशील कुमार	सहायक अभियन्ता	11189	7539	20.02.19
209	कोषागार लखनऊ	श्री गंगा सागर शुक्ला	सहायक अभियन्ता	10784	7540	20.02.19
210	कोषागार कानपुर	श्री आनन्द कृष्ण सक्सेना	सहायक अभियन्ता	7250	7541	20.02.19
211	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	8445	7542	20.02.19
212	कोषागार लखनऊ	श्री पुष्कर नाथ श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	10211	7543	20.02.19
213	कोषागार लखनऊ	श्री सुनील चन्द्र	अधिशाली अभियन्ता	12327	7544	20.02.19
214	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सरोज सहाय पत्नी स्व० जगदीश सहाय	अधीक्षण अभियन्ता	6294	7545	20.02.19
215	कोषागार वाराणसी	श्री देवव्रत शर्मा	सहायक अभियन्ता	10792	7546	20.02.19
216	कोषागार लखनऊ	श्रीमती शारदा वर्मा पत्नी स्व० शोभा राम वर्मा	लेखाकार	6224	7548	20.02.19
217	कोषागार मेरठ	श्री मुरारी लाल शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	6388	7549	20.02.19
218	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती फूल भार्गव पत्नी स्व० एम०एल० भार्गव	मुख्य अभियन्ता	6301	7550	20.02.19
219	कोषागार लखनऊ	श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व० प्रेम नाथ	सहायक लेखाधिकारी	11175	7551	20.02.19
220	कोषागार गाजियाबाद	श्री आशीष किशोर मित्तल	सहायक अभियन्ता	12310	7552	20.02.19
221	कोषागार लखनऊ	श्री अनिमा गुहा राय	अधीक्षण अभियन्ता	12231	7553	20.02.19
222	कोषागार औरैया	श्री बृजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	सहायक अभियन्ता	9918	7554	20.02.19
223	कोषागार वाराणसी	श्री झूरी राम पाल	सहायक अभियन्ता	12391	7555	20.02.19
224	कोषागार लखनऊ	श्रीमती रेनू पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल किशोर पाण्डेय	अधिशाली अभियन्ता	12393	7556	20.02.19
225	कोषागार गाजियाबाद	श्री ओमपाल सिंह तोमर	अधिशाली अभियन्ता	12392	7558	20.02.19
226	कोषागार लखनऊ	श्रीमती पुष्पा भटनागर पत्नी स्व० सतीश चन्द्र भटनागर	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	6023	7559	20.02.19
227	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री सतीश चन्द्र वर्मा	उपमहाप्रबन्धक	9415	7560	20.02.19
228	कोषागार लखनऊ	श्री कृष्ण देव कालिया	अधिशाली अभियन्ता	6368	7561	20.02.19

229	कोषागार लखनऊ	श्री विनय कान्त शुक्ला	लेखाकार	9460	7563	20.02.19
230	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती राधा रावत पत्नी स्व० मोहन सिंह रावत	उप मुख्य लेखाधिकारी	7845	7564	20.02.19
231	कोषागार बस्ती	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० राम प्रसाद चौधरी	सहायक अभियन्ता	6215	7565	20.02.19
232	कोषागार लखनऊ	श्री सुरेन्द्र चन्द्र कौशिक	मुख्य अभियन्ता	6350	7566	20.02.19
233	कोषागार प्रयागराज	श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० एस०एन० सिंह	मुख्य अभियन्ता	6264	7567	20.02.19
234	कोषागार अलीगढ़	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	13443	7568	20.02.19
235	कोषागार प्रयागराज	श्री स्वयं प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता	11972	7570	20.02.19



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION

CIN: U32201UP1999SGC 024928

पत्र सं० / ज०म०प्र०/लेखा/पेंशन/10360/04-05

दिनांक :- 07/09/2018

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय :- कारपोरेशन आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.17 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री घनश्याम दास मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	:	3270 दिनांक 30.09.2005
(ग) जन्मतिथि	:	16.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पूर्णिमा मित्तल (पत्नी)
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	28.06.1952
- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पाचवौं वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे) | : | (21350-23975) |
| (घ) वेतन | : | रु० 23,975/-प्रतिमाह |
| (ङ) अंतिम पेंशन | : | रु० 31,500/-प्रतिमाह |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | रु० 6,345/-मात्र |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | रु० 25,155/-प्रतिमाह |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | रु० 18,900/- प्रतिमाह |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | (59 छमाहियाँ) |
- दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पैमेटिक्स तालिका नं० (आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.18 के अनुसार)	:	15
(ख) उक्त के अनुसार निर्धारित वेतन	:	रु० 1,92,900/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	रु० 96,450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	रु० 86,221/-
(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.18 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	रु० 85,700/-
(घ) दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	रु० 86,221/- प्रतिमाह
(ङ) राशिकृत पेंशन (राशिकरण के उपरान्त)	:	रु० 6,345/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये।	:	रु० 79,876/-प्रतिमाह
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	रु० 57,870/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	—
- कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.16 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(सतीश चन्द्र वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1672 ज०म०प्र०/लेखा/पेंशन/10360/04-05 तत्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री घनश्याम दास मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता 5/411, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

(सतीश चन्द्र वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9623/2003-04

दिनांक 25/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2492 30.01.2004
(ग)	जन्मतिथि	21.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश्वरी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.12.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.07.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400(37400-67000)Grade Pay 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,126.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,224.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 162,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,126.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 77,024.00 दि० 31.01.2019 तदुपरान्त रु० 81150.00 दि० 01.02.19 पुनर्स्थापित।
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3546 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9623/2003-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता- 19/5, माल एवन्स, लखनऊ-226001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9632/03-04 दिनांक 25/10/2018

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार बंसल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2332 22.08.2003
(ग)	जन्मतिथि	06.02.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.07.1952
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 Grade Pay Rs. 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 66,510.00 (पुनर्स्थापना दि. 22/11/18)
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3552 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9632/03-04 तददिनांक

प्रतिलिपि त्रिभुजलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अशोक कुमार बंसल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- 96/218 आर०डी० बाजपेयी लेन, पुराना गणेश गंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11755/2009-10

दिनांक 25/10, 2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शिव पाल सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4774	17.12.2010
(ग)	जन्मतिथि		08.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		N/A
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि		31.01.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनामान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 Grade Pay 8900
(घ)	वेतन		Rs. 62,160.00
(ङ)	मूल पेंशन		Rs. 31,080.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 12,080.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 19,000.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,61,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 80,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 80,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 12,080.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		Rs. 68,570.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		N/A
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3555 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11755/2009-10

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री शिव पाल सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी पता- 645ए/844, जानकी विहार, 60 फिट रोड जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ-226031 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र०पा०का०लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

13863/2015-16

दिनांक 25/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6908 19.11.2015
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.10.1962
2(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.10.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 74,520.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 37,260.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 14,904.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,356.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	Rs. 27,260.00 upto 04.10.2020
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 22,356.00
(ण)	पेंशन योग्य अहकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,92,500.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 96,250.00
(ख)	पेंशन हेतु अहकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 96,250.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 14,904.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 81,346.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	Rs. 96,250.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 57,750.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3556 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13863/2015-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जितेन्द्र मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव पता- 3/188, सेक्टर-जे, जानकीपुरम, लखनऊ-226021 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(संलग्न नकल)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION

CIN: U32201UP1999SGC 024928

पत्र सं० ३०म०प्र०/लेखा/पेंशन/६९१६/९२-९३

तत्दिनांक

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय :- कारपोरेशन आदेश सं० १३२० दिनांक २९.१२.१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० २३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं० ३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० ७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत श्रीमती संतोष कुमारी सक्सेना पत्नी स्व० हरि कृष्ण सक्सेना से०नि० अधिशासी अभियन्ता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/दिवंगत
(ख) पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	९५०३ दिनांक १३.१२.१९९३
(ग) जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संतोष कुमारी सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
३६. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	३१.०७.१९९१/१५.०७.२०००
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(४२५०-५६००) (१४३००-१८३००) ३७४००-६७०००+८७००
(घ) वेतन	५६००/-
(ङ) अन्तिम पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	८४७०/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	६६ छमागियाँ
३. दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क) पैमेटिक्स तालिका नं० (आदेश सं० ४४४ दिनांक ११.०४.१८ के अनुसार)	१२
(ख) उक्त के अनुसार निर्धारित वेतन	१२६८००/-
४. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित	-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (५०%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं० १४ दिनांक ०१.०५.१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक ०१.०१.२०१६ से पेंशन अनुमन्य होगी, (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्था हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये।	लागू नहीं -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) (आदेश सं० १२०४)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	३८०४०/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं० १३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० ३९ दिनांक २३.१२.१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१८ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(सतीश चन्द्र वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० ३५५४-उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/६९१६/९२-९३

तत्दिनांक

प्रतिनिर्णय निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती संतोष कुमारी सक्सेना, पत्नी स्व० हरि कृष्ण सक्सेना, से०नि० अधिशासी अभियन्ता, पता म०न० ४१४/१३४ सराय माली खान चौक लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(सतीश चन्द्र वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राम सजीवन, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6686	12.01.15
(ग)	जन्मतिथि	25.12.1954	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रागनी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.07.1961	
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2014	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन	Rs. 78,000.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 39,000.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 15,600.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,400.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	39000 upto 24.12.2021	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 23,400.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 15	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 204,700.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 102,350.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)/(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 102,350.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 15,600.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 86,750.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	102350 upto 24.12.21	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 61,410.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3560 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13630/14-15

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम सजीवन, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक पता- मकान नं० 3/ 121 ए विपुल खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र वर्मा)

अधीक्षक पेंशन

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9503/2003-04

दिनांक 25/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2291 16.07.2003
(ग)	जन्मतिथि	31.01.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.01.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनामान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00 upto 30.09.2018 तदोपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-356 | उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9503/2003-04

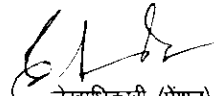
तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- 3/41, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्ता करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


 लेखाधिकारी (पेंशन)
 (सतीश चन्द्र वर्मा)
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ०प्र०पा०का०लि०
 शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12562/2011-12

दिनांक 25/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री बदन सिंह सेवानिवृत्त अनुसेवक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5439 15.09.2011
(ग) जन्मतिथि	20.07.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राज कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.03.1959
2.(क) सेवानिवृत्त तिथि	31.07.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	

(37400-67000) Grade Pay Rs. 8700

(घ) वेतन	Rs. 64,090.00
(ङ) मूल पेंशन	Rs. 32,045.00
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,818.00
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,227.00
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,227.00
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख) निर्धारित वेतन	Rs. 165,400.00

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 82,700.00
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	N/A
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :-	N/A

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

N/A

(घ) दिनांक 01.01.2016 से पेंशन अनुमन्य होगी। (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 82,700.00
(ङ) राशिकृत पेंशन	Rs. 12,818.00
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 69,882.00
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 49,620.00
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3563 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12562/2011-12

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बदन सिंह सेवानिवृत्त अनुसेवक पता- 569व/318, इण्डियन पब्लिक स्कूल के पीछे, प्रेमनगर, आलमबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र समी)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10321/2004-05

दिनांक 25/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री ईश्वर चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त निजी सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3031 03.03.2005
(ग)	जन्मतिथि	15.12.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.12.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200 (15600-39100) Grade
(घ)	वेतन	Pay Rs. 6600
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 13,250.00
(ब)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,602.00
(ङ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 3,610.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 9,992.00
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	Rs. 5,963.00
		61 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 11
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 80,900.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 40,450.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	Rs. 37,386.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :-	Rs. 33,850.00

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ)	दिनांक 01.01.2018 से पेंशन अनुमन्य होगी। (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 33,850.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 37,386.00
(ब)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 3,610.00
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 33,776.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	N/A
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	Rs. 24,270.00
		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-356/4 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10321/2004-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री ईश्वर चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त निजी सचिव पता- प्रयाग भवन नियर अलंकार सिनेमा, मुराद अली लेन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 (सतीश चन्द्र वर्मा)
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ०प्र० पा० का० लि०
 शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10746/2005-06 दिनांक 26/10/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3470	16.03.2006
(ग)	जन्मतिथि	22.11.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.03.1947	
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	30.11.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनामान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000) Grade Pay 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 5,959.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,391.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 162,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 78,691.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	Rs. 72,100.00	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,691.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 5,959.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 72,732.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3566 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10746/2005-06 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता- 2/98, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10539/05-06 दिनांक ,2018

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रकाश सक्सेना सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3195 08.08.2005
(ग)	जन्मतिथि	14.05.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्द्रा सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) (14300-18300)	37400-67000 GP 8700
(घ)	वेतन	Rs. 18,300.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 23,050.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,010.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 13,830.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 134,500.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 67,250.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 67,250.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,210.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,350.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3925 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10559/05-06

तददिनांक 14-11-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राजेन्द्र प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी पता-84, कुंवरपुर हाउस, बगिया गोपाल दास, ख्यालीगंज, अमीनाबाद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(सतीश चन्द्र वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र०पा०का०लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0-.....उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन/

12565/2011-12

दिनांक 11/11/2018

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री कुँवर पाल सांडिल्य, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0संख्या एवं दिनांक	5493 11.11.2011
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीरा सांडिल्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.04.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.10.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनामान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay 10000
(घ)	वेतन	Rs. 76,100.00
(ङ)	अन्तिम पेंशन	Rs. 38,050.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 15,220.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,830.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 22,830.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,99,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 99,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 99,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 15,220.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 84,580.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 59,880.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0-3930 उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन/ 12565/2011-12

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कुँवर पाल सांडिल्य, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता- 50नं0-11/822, (एच0आई0जी0), इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(लेखाधिकारी-पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पा0 का0 लि0

शक्ति भवन, लखनऊ

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13743/15-16

दिनांक 16/11/2018

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री तुलसी राम सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6798 19.06.2015
(ग)	जन्मतिथि	15.05.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700
(घ)	वेतन	Rs. 58,450.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 29,225.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 11,690.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 17,535.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,51,400.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 75,700.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 75,700.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 11,690.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,010.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204 के अनुसार)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	N/A
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-399/ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13743/15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री तुलसी राम, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-बी-515, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
(सुनील राम, ज्य.)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5162	15.02.2011
(ग)	जन्मतिथि	17.11.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.08.1949	
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700	
(घ)	वेतन	Rs. 60,400.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 30,200.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,080.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,120.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,120.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 155,900.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 77,950.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 77,950.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,080.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 65,870.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 46,770.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3992 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12296/10-11

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विजय कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी पता- 6/771, विकास नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(विजय चन्द्र राय)

लेखाधिकारी

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9854/03-04

दिनांक 16/11/2018

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हुकम सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2578 29.03.2004
(ग)	जन्मतिथि	12.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मला रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.01.48
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	24295 wef. 14.05.2015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9854/03-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हुकम सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-फ्लैट नं० 12 IV फ्लोर लेखराज इनक्लेव सेक्टर-2 विकास नगर, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(इतीरुध यन्त्र कर्म)

लेखाधिकारी (पेंशन)

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

पता-फ्लैट नं० 12 IV फ्लोर लेखराज इनक्लेव सेक्टर-2 विकास नगर, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13080/12-13 दिनांक 19/11/2018

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5979 11.02.2013
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा सिंह (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.08.1955
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 67,940.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 33,970.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,588.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,382.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 33,970.00 dt. 01.01.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 20,382.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 176,200.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 88,100.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 88,100.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 13,588.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 74,512.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 88,100.00 dt. 01.01.2020
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 52,860.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4029 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13080/12-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, पता-1/215, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(रक्षक अधिकारी (पेंशन))
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- ५८३३ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12686/2011-12

दिनांक १८/११/२०१८

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राजेश प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5615 03.03.2012
(ग) जन्मतिथि	10.12.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	N/A
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2.(क) सेवानिवृत्त तिथि	31.12.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) Grade Pay Rs. 8700

(घ) वेतन	Rs. 64,090.00
(ङ) मूल पेंशन	Rs. 32,045.00
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,818.00
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,227.00
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख) निर्धारित वेतन	Rs. 165,400.00

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 82,700.00
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	N/A
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :-	N/A

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

N/A

(घ) दिनांक 01.01.2016 से पेंशन अनुमन्य होगी। (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 82,700.00
(ङ) राशिकृत पेंशन	Rs. 12,818.00
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 69,882.00
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	N/A
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० १०३३ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12686/2011-12

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राजेश प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता- 18-बी, अक्वपुरी सर्वोदय नगर, लखनऊ-226016 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- 4414 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

8881 / 01 -02

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीना निगम पत्नी स्व० श्रवण कुमार निगम, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता / पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1559 27.09.2001
(ग)	जन्मतिथि	29.04.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना निगम (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.05.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.02.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100/8550-13500 G.P. 5400
(घ)	वेतन	Rs. 9,925.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 5,763.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	49 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 10
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 63,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 18,930.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4414 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

8881 / 01 -02

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मीना निगम पत्नी स्व० श्रवण कुमार निगम, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता- 140/95, नाला फतेह गंज, लखनऊ-226004 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(Signature)
11/12



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० ५८८३ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10632/05 06

दिनांक 14/12/2018

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय: कारपोरेशन आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्क्रम में निर्गत आदेश सं० 177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुमुद रस्तोगी पत्नी स्व० विनोद कुमार रस्तोगी, सेवागिरिता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3369 31.12.2005
(ग)	जन्मतिथि	05.11.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुमुद रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.11.2005/17.12.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	16-400-20000/37400-67000 G.P. 8700
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:	
(क)	पे मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या: 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00 dt. 17.12.2017 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० ५८८३ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10632/05 06

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती कुमुद रस्तोगी को दि० 17/12/2017 को निर्गत आदेश सं० 177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

3. अधिशासी अभियन्ता, नेबराइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

स्वीकृति प्राप्त स्वामित्व
रामचन्द्र प्रसाद सिंह
रतन प्रसाद सिंह
रवि प्रसाद सिंह



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPMCO Power Corporation Limited
(UP Government Undertaking)

पं. सं. 25/10/2011/0322010/1999SGC024428



पत्र सं०

12443

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 10/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगत प्रकाश त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5705 दिनांक 05-06-2012
(ग)	जन्मतिथि	07.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 57,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28610
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11444
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 17166
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 28,610/- दि० 06.02.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17166
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,51,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 75700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 75700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11444
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64256
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹ 75,700/- दि० 06.02.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5951

12443

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, गोविन्दनगर, कानपुर।

2

श्री जगत प्रकाश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-113/321, स्वरूप नगर, कानपुर।

को इस अतिरिक्त प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7787

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री करन सिंह मटनागर

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1066 दिनांक 13-07-2000	
(ग)	जन्मतिथि	01-02-1940	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्ञान देवी मटनागर	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.12.1943	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-1998	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दि०-04.04.2013
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दि०-04.04.2013
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) का 20%	₹	81000 दि०-01.02.2020 से
	67500=13500		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5995

7787

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 10/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर।

श्री करन सिंह मटनागर सेवानिवृत्त, सहायक लेखाधिकारी, पल्टन बाजार, नरमल चौराहा, म०न० 1120 गैस एजेंसी के पास सुल्तानपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर

से सम्पर्क सीपित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

09/11/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
शक्ति मवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Incorporated in India)

पंजीकृत पेंशन नं० 192201081095SC024928



पत्र सं०

10501

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

14/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवेन्द्र नारायण मिश्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3480	दिनांक 17.03.2006
(ग)	जन्मतिथि		13.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		13.09.1947
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-23975
(घ)	वेतन	₹	23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6941
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24559
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	187,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6941
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	86709
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6087

10501 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

श्री देवेन्द्र नारायण मिश्रा, मुख्य महाप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता 1/57, विकास नगर, लखनऊ

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

14/11/19
गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



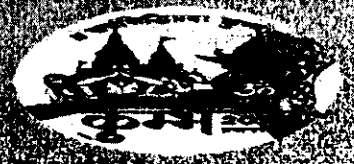
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पंजीकरण सं० 150/पा०/१३२०१७/१९९९६८०/२४९२८



पत्र सं०

12077

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 17/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, फिरोजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद शमीम

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिबर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4979	दिनांक 09.08.2010
(ग)	जन्मतिथि		04.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती खातून बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07-12-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	44,070
(ङ)	मूल पेंशन	₹	22035
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8814
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	13221
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		22035
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13221
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8814
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	52736
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	61550 दि० 03.03.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6251

12077 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, शिकोहाबाद

2/ श्री मोहम्मद शमीम, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 112/189, बेनझावर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

फिरोजाबाद

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करने के लिए

3/ अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

PEN-1032201UP1999SC024928



पत्र सं०

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5625	दिनांक 14-03-2012
(ग) जन्मतिथि		11.01.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दु देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.05.1958
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ) वेतन	₹	33,380
(ङ) मूल पेंशन	₹	16090
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6436
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9654
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 16090/- दि० 10.01.2017 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10014
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	85,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	42900
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	42900
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	6436
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	36464
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25740
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6255

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०आई०जी०-46, राप्ति नगर, फेज-4, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राप्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11670

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 18/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बलिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4650

दिनांक

11.11.2009

(ग) जन्मतिथि

20.01.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1952

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-01-2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP 8900

(घ) वेतन

₹

60,340

(ङ) मूल पेंशन

₹

30,170

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

9,730

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,440

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,102

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,56,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

78,300

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

78,300

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

9,730

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

68,570

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46,980

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6257

11670 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया

2. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-द्वारा श्री कैलाश किशोर सिंह, जिला महिला चिकित्सालय के पास, मो० विजईपुर, जनपद बलिया

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

बलिया

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित की

मुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अद्वैत भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10542

05-06

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 18/01/15

कोषाधिकारी,

कोषागार सीतापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवी प्रसाद रस्तोगी

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	3261 दिनांक 28.09.2005
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रमा रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.06.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 24,295
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3,604
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20,691
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ -
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 69,550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3,604
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 65,946
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6258

10542 05-06

उपग्रो/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर।
- श्री देवी प्रसाद रस्तोगी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता- 61 धास मण्डी, लखीमपुर (खीरी)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सीतापुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान करे।

के सम्पत्ति सम्पत्ति स्थापित कर

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाओलि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(सामूहिक सेवा का प्रमाणपत्र)

पुनरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया गया है।

पत्र सं० 6259 12132 10-11 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-18/01/19



पत्र सं० 6259

12132

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-18/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरीश चन्द्र मिश्र

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5345	दिनांक 08.07.2011
(ग)	जन्मतिथि		03.03.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि		30.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	57,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28610
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9498
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19112
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	151,400
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	75700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	45420
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	75700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66202
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

12132 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2 श्री हरीश चन्द्र मिश्र, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 61 सावित्री नगर, सनिगवां, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

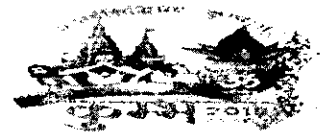
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12446

11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 18/01/13

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंग लाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5338	दिनांक 02.07.2011
(ग)	जन्मतिथि		10.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शानकेशी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6260

12446 11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्री रंग लाल, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- म०न० 397 आदर्श नगर (जटेपुर नाथी), पो० बशारतपुर, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्वीकृतकता आदेशकारी एवं
लेखाधिकारी (पेंशन) उ० प्र० पा० का०
लि० शक्ति भवन लखनऊ



उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०)

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

पं० ३३३/१०/१९८६/१३२२०/१०३३९९३८०२२९२६



पत्र सं०

6039

1986-1987

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुहम्मद सईद खॉ

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6867 दिनांक 27-09-1989
(ग)	जन्मतिथि	24.07.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1986
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37000-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 5,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29965
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ ₹ 18465/- दि० 01.01.16 से 23.07.18 तक ₹ 24620/- दि० 24.07.18 से अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6267

6039

1986-1987

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री मुहम्मद सईद खॉ, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-1इन्जीनियर्स विल्डिंग 637 ए हुमायपुर, उत्तरी रोड, गोरखनाथ जिला- गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करे।

मुग्तान प्राप्त करे।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रोपाओलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

17/01/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

राज्य शासनादेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७

Pension Revision No. 08220011-09-SC00297



पत्र सं०

7590

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अदिती सेन पत्नी स्व० देवकी कुमार पारिवारिक वरिष्ठ सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
सेन अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	397 दिनांक 19-12-1997
(ग) जन्मतिथि	03.01.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अदिती सेन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.03.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-1997 / 23-08-2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600-/14300-18300 (37400-67000 GP 8700)
(घ) वेतन	15,500
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 12
(ख) निर्धारित वेतन	1,23,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	61,550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	36930
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 67500 का	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6268

7590

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी
2. श्रीमती अदिती सेन पत्नी स्व० देवकी कुमार सेन, वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, पता डी०-53/64 लक्सा वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

17/01/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
रामेश्वर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7375

1995-1996

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्रकान्त शर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	157 दिनांक 07-10-1996	
(ग)	जन्मतिथि		01.09.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिबंगत तिथि		31.08.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	4750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	14935
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	85800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	42900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	42900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 80 वर्ष पूर्ण करने पर	₹	8580/- दि० 01.09.2017 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6269

7375

1995-1996

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

श्री चन्द्रकान्त शर्मा, सेवानिवृत्ता लेखाधिकारी, पता- बी-64 कामाला नगर आगरा।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पुनरीक्षण/पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।



पत्र सं०

10891

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

18/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री खेमपाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3737	दिनांक	15.09.2006
(ग)	जन्मतिथि			31.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती राजवती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23927
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4491
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19436
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		68497
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		69550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4491
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		65059
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6271

10891 06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2 श्री खेमपाल सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट डिलारी, जिला मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

मुरादाबाद

को प्रेषित पत्रांक करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपमहानगरपालिका

(उपमहानगरपालिका)

पुनर्वासन विभाग

पुनर्वासन विभाग

पुनर्वासन विभाग



पत्र सं०

12094

10-11

उपमहानगरपालिका/पेंशन

दिनांक-18/01/18

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल बनर्जी

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4967	दिनांक 30.07.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शोभा बनर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	30,920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15460
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6066
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9394
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		15460 दि० 30.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9276

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	80,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	40000

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	40000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6066
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	33934
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	40000 दि० 30.06.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	24000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6273

12094 10-11

उपमहानगरपालिका/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्री गोपाल बनर्जी, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 312/165/6 आजाद नगर, साख्य मलाका, इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपमहानगरपालिका, शक्ति भवन, लेखनक/

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपमहानगरपालिका/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

माहवत भवन, लेखनक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7572

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कुसुम गर्ग, पत्नी स्व० राम दत्त पारिवारिक मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	363	दिनांक 29-10-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुम गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.07.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-1996/ 04-05-1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे० 10000)	
(घ)	वेतन		19,400
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 72100 का		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6276

7572

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ
- श्रीमती कुसुम गर्ग पत्नी स्व० राम दत्त गर्ग से०नि० मुख्य अभियन्ता पता 180ए आबू लेन मेरठ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

18/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

संस्थाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10907

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

18/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार गोयल

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अमियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3659 दिनांक 19.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	20.11.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मिथलेश कुमारी गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.06.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10.03.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31,855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10,038
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,817
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹ -
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ -
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 76,000
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72,100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 76,000
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10,038
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65,962
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50,160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6278

10907 06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अमियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री अशोक कुमार गोयल, अधिकांसी अमियन्ता सेवानिवृत्त, पता- के०एल०-61, कवि नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करे।

3. अधिकांसी अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

स्वी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7892

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 18/01/18

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज मोहन अजमानी

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	544 दिनांक 24.10.1998
(ग)	जन्मतिथि	09.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्द्रा अजमानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.01.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	18400-20000/37400-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित दि० 14.11.2013
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27,350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16,410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित दि० 14.11.13
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 74,250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6280

7892 98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, केस्को हाउस, 14/71, सिविल लाइन्स, कानपुर

2. श्री बृज मोहन अजमानी, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 117/एल/330, नवीन नगर, काकादेव, कानपुर-208025

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकि। भवन, लखनऊ।

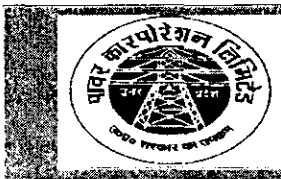
लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

कानपुर, कानपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12163

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
सिद्धार्थनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5038 दिनांक 04-10-2010
(ग)	जन्मतिथि	29.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.06.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19268
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छटा वेतनमान
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65978
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6281

12163

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिद्धार्थनगर।
- श्री नरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-121 ई, आजाद नगर सेक्टर 2 बॉर्ड 12, गारेखपुर, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8709

2000-01 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-18/01/13

कोषाधिकारी,
कोषागार उरई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रूप सिंह चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1386 दिनांक 12.04.2001
(ग) जन्मतिथि	15.01.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्दा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.03.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900

(घ) वेतन	₹ 20,000
(ङ) मूल पेंशन	₹ 24,295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040 पुनर्स्थापित दि० 12.05.2016
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255 दि० 12.05.2016 तक तदुपरान्त 24295

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,890

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
-------------------------------	------------

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
--	---------------

(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
--------------------	------------

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
---	-------------

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
---	-------------

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69,550
---	----------

(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 3,040
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66510 दि० 11.05.16 तक तदुपरान्त 69550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं
--	-------------

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6283

8709 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, उरई (जालौन)।

2 श्री रूप सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 1842, नया राम नगर, उरई, जालौन

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी, कोषागार

उरई

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित के

भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

रूप सिंह चौहान

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन लि०

उरई, जालौन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13709

14-15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-18/01/18

कोषाधिकारी,

कोषागार मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कुमार जौहरी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6764	दिनांक 22.04.2015
(ग)	जन्मतिथि	20.06.1954	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधु जौहरी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1963	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2014	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	₹	69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34,980
(घ)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	13,992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	34980 से 19.06.2019 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20,988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90,750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90,750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13,992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76,758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	90750 दि० 19.06.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6385

13709 14-15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2. श्री अरुण कुमार जौहरी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता:- नया लाल बाग (काजी का क़ेशर), निकट दूरभाष केन्द्र, पचेन्डा रोड, मुजफ्फरनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, राकिा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मिलिश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० शासक कार्यालय लि०

(उ०प्र० शासक का उपक्रम)

(उ०प्र० शासक का उपक्रम)

(उ०प्र० शासक का उपक्रम)

पेंशन-RENSION/IN/17/2016/1999SGC024928



पत्र सं०

8656

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1304 दिनांक 02-02-2001
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुनीता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.12.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	09.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-325-15200/15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 12.275
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8325
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	23 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6286

8656

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमाल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-357 आदर्श नगर, जिला बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्राक

दिनांक

को सापेक्ष समर्थन के लिए कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राशिक भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०

उमोप्रो सरकारी (उपक्रम)

Umo Power Corporation Limited

पुनर्गठन सं०/सं०/18/22/2018/999SGC024928



पत्र सं०

8870

2001-2002

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री युगल किशोर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	1757	दिनांक 22-03-2002
(ग)	जन्मतिथि		21.04.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दमयन्ती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	19,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295 दि० 14.05.2015 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2968
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21237
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2968
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹० 66562/- दि० 21.06.2017 तक तदुपरान्त ₹० 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6287

8870

2001-2002

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री युगल किशोर पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एन० 10/72 डी०एम० न्यू कोलोनी ककरमता, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11847

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 18/01/18

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनौर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कुमार जौहरी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4773 दिनांक 15.02.2010
(ग)	जन्मतिथि	14.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा जौहरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10,022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	31080 से 13.12.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10,022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायै	₹ 70,628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80650 दि० 13.12.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 688

11847 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर।
2. श्री अरुण कुमार जौहरी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 371, रामबाग, सिविल लाइन, बिजनौर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बिजनौर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार
कोषाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12078

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

18/01/15

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश कुमार यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5371	दिनांक 01.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		07.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अनिल कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.11.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32,015
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	49,830
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सांझान न लिया जायें	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6289

12078 10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिधर्मोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री सतीश कुमार यादव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- सी-7 जी०डी०ए० स्टाफ क्वार्टर, बरसत रोड, गाजियाबाद (उपग्रो)

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित

भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपा०का०लि०, शक्ति मन्त्रालय, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7611

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	724	दिनांक 13-07-1999
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.08.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ)	वेतन	₹	17750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दिनांक 02.12.2012
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दिनांक 02.12.2012
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 67500 का	₹	13500 दिनांक 01.07.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6296

7611

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

श्री रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9/8 रेल विहार, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

18/11/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9743

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
लखीमपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिभुवन दत्त तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2604

दिनांक

29-04-2004

(ग) जन्मतिथि

05.01.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रजनी तिवारी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900

(घ) वेतन

20000

(ङ) मूल पेंशन

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

21255

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

13890

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04. 2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

3040 पुनर्स्थापित दि०-29.07.2019

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

66510/-दि० 29.07.2019 तक तदुपरान्त 69550/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 61550 का

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्यापक उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6298

9743

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर खीरी।

श्री त्रिभुवन दत्त तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सर्वोदयनगर, बांके गंज रोड, गोलागोकर्न नाथ, खीरी।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार लखीमपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11566

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 18.1.19

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम सरन सक्सेना

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4808 दिनांक 11.03.2010
(ग) जन्मतिथि	03.04.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेम लता जौहरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.05.1948

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
-------------------------	--------------

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P. 8900
----------------------------------	-----------------------

(घ) वेतन	₹ 60,340
----------	----------

(ङ) मूल पेंशन	₹ 30,170
---------------	----------

(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11,386
--------------------------	----------

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18,784
----------------------------------	----------

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
--------------------------------	-----------

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,102
----------------------------------	----------

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
-------------------------------	------------

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
--	---------------

(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
--------------------	------------

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78,300
--	----------

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
--	-------------

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
---	-------------

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
---	-------------

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78,300
---	----------

(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 11,386
-------------------	----------

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66,914
---	----------

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
--------------------------------------	-------------

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46,980
------------------------------------	----------

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं
--	-------------

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-ब के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6299

11566 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली

2. श्री पुरुषोत्तम सरन सक्सेना, लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता कृष्ण विहार कालोनी, शाहबाद रोड, लाइन पार, रामपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10039

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिशु कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2885	दिनांक 20-11-2004
(ग)	जन्मतिथि		20.04.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शुशीला बी शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.09.1948
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2982
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21313
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2982
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66568 दि० 20.02.2020 तक तदुपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 14850 का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6300

10039

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
श्री शिशु कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एच०आई०जी०-215, सेक्टर-9 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति मवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11877

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6304 दिनांक 20.11.2013
(ग)	जन्मतिथि	17.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.05.1954

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.2009

(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900

(घ)	वेतन	₹ 64,820
-----	------	----------

(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35502 दिनांक 04.08.16 तक तदुपरान्त 35860
-----	-----------	--

(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
-----	----------------------	-------------

(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	------------------------------	-------------

(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
-----	----------------------------	-------------

(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21,516
-----	------------------------------	----------

(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
-----	---------------------------	------------

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
-----	----------------	------------

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,600
-----	--	----------

(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	--	-------------

(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	---	-------------

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

83,600

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

दि० 01.01.16 से 04.08.16 तक 1 प्रति० दंड के उपरान्त 82764/-तदुपरान्त दंड की समाप्ति पर रु० 83600/-

(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	---------------	-------------

(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
-----	---	-------------

(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
-----	----------------------------------	-------------

(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50,160
-----	--------------------------------	----------

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-व के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6310

11877 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 18/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2 श्री अशोक कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंकर, टावर नं० 3सी०, प्लैट नं०-813, मेहरोली एन०एच०-24, नियर कोलम्बिया हॉस्पिटल, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मदन विहारी वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7626

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम प्रकाश शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	454	दिनांक 24-04-1998
(ग) जन्मतिथि		01.01.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशीरानी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.11.1957
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि		31.12.1996
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000	ग्रेड-पे-8700
(घ) वेतन	₹	15500
(ङ) मूल पेंशन	₹	23050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दि० 24.07.2013
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23050
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	123100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दि० 24.07.2013
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61550
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 61550 का	₹	12310 (73860/-) दि० 01.01.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6352

7626

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सेक्टर-15, (लोएडा) गौतमबुद्धनगर।

श्री राम प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्ता-ई-21, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गौतमबुद्धनगर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक: 23/01/19

स्थिति पत्र, लखनऊ



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

9293

02-03

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक- 23-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चॉद किशन गोंधी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2084	दिनांक 12.12.2002
(ग)	जन्मतिथि		04.06.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विजय गोंधी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-05-1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	66 छमहियाँ
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6353

9293 02-03

उमप्रो/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
- श्री चॉद किशन गोंधी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 5 शास्त्री नगर, हकीकत नगर, सहारनपुर-247001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
सहारनपुर

सहारनपुर

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रोपावरलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12726

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गनेशी लाल

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5618 दिनांक 06-03-2012

(ग) जन्मतिथि

10.07.1951

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती कमला देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

05.10.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-87000 ग्रेड-पे-8900

(घ) वेतन

₹

65960

(ङ) मूल पेंशन

₹

32980

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13192

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19788

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

32980/- दि० 09.07.2016 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19788

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

171100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(ः) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13192

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

72358

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

85550/- दि० 09.07.2018 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6356

12726

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणार्ध विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

श्री गनेशी लाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-506, पश्चिमपुरी, आगरा।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13881

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद शाहिद

सेवानिवृत्त

अधिकांसी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7037	दिनांक 02-06-2016
(ग)	जन्मतिथि		11.12.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिलकीस फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.10.1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	74230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		37115/- दि० 10.12.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22269
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	192500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	96250/- दि० 10.12.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 80 वर्ष पूर्ण करने पर	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6359

13881

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

श्री मोहम्मद शाहिद, सेवानिवृत्ता अधिकांसी अभियन्ता, पता-म०न०-40, सागर कॉम्प्लेक्स, अनूप शहर रोड, पो० ए०डी०एफ०, अलीगढ़।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार अलीगढ़।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

दिनांक 23/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11598

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम जी श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4586

दिनांक

16-09-2009

(ग) जन्मतिथि

06.06.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती जनकनन्दनी श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.05.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड-पे (8900)

(घ) वेतन

₹

60340

(ङ) मूल पेंशन

₹

30170

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

9446

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20724

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18102

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

156600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

₹

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

78300

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

78300

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

9446

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

68854

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48390

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6362

11598

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-पश्चिम विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।

श्री राम जी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-281 डी, शक्ति नगर कालोनी, पो० आसेम मन्दिर, जिला गोरखपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9172

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/1/19

कोषाधिकारी कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओमदेव यादव

अधिवर्षता

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1991 दिनांक 23-09-2002

(ग) जन्मतिथि

01.07.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती भीमा देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

24.07.1950

2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30-06-2002

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 (37400-67000 GP 10000)

(घ) वेतन

21,400

(ङ) मूल पेंशन

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

8802

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

18548

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या 14

(ख) निर्धारित वेतन

1,53,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

76,500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

76,500

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

76500

(ङ) राशिकृत पेंशन

8802

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

67698 दिनांक 12.12.2017 तक तदुपरान्त 76500 13.12.2017 से अग्रेतर

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

45900

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 72100 का

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6363

9172

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली

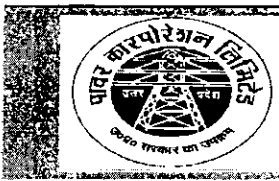
2. श्री ओमदेव यादव, से०नि० उपखण्ड अधिकारी, पता 262ए० सिविल लाईन्स, बिहारीपुर, बारी नगला, बरेली

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10034

04-05

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/11/19

कोषाधिकारी कोषागार हरदोई

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

सुरेश कुमार वर्मा,

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4037 दिनांक 26-07-2007	
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1946	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/(37400-67000 GP 8900)	
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6366

10034

04-05

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, हरदोई

2. श्री सुरेश कुमार वर्मा, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 592 सुभाष नगर, हरदोई

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, हरदोई

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6043

86-87

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सीता राम आर्या

सेवानिवृत्त

साहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4942	दिनांक 20-02-1987
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1986
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-13500 (5600-39100 (5400))
(घ)	वेतन	₹	2600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10655
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	56100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	28050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	28050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	अंकित नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 80 वर्ष पूर्ण करने पर	₹	8415 01.01.2016 से 30.06.2018 11220 से 01.07.2018

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6368

6043

86 87

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मेरठ

श्री सीता राम आर्या से०नि सहायक अभियन्ता, पता-सुशीला नगर, 29 ए नया आर्य नगर, जेल रोड, मेरठ।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10036

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/11/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीराम प्रसाद

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2834	दिनांक 25-10-2004
(ग)	जन्मतिथि		23.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती तारा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	21900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3888
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23462
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	157600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3888
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74912
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 80 वर्ष पूर्ण करने पर	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6369.

10036

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।

श्री श्रीराम प्रसाद, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-वृद्धा शिक्षण संस्थान ग्राम कटरिया, पोस्ट बसन्त नगर, जिला चन्दौली।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7614

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/11/19

कोषाधिकारी कोषागार मऊनाथ
भंजन

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केदार नाथ श्रीवास्तव

अधिवर्षता

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	335	दिनांक 23-09-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/(37400-67000 GP 8900)	
(घ)	वेतन		17,300
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित दिनांक 17.11.2012
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14730

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या 13

(ख) निर्धारित वेतन

1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

65,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

65,550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

65550

(ङ) राशिकृत पेंशन

पुनर्स्थापित दिनांक 17.11.2012

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

65550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

लागू नहीं

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 65550 का

13110 दिनांक 01.07.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6372

7614

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊनाथ भंजन

2 श्री केदार नाथ श्रीवास्तव, से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता ग्राम व पोस्ट ताजोपुर, मऊ

3 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मऊनाथ भंजन स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

21/11/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

महानगरपालिका, काठमाडौं

REGISTRATION NO. 101/2011/0095/0072/228



पत्र सं०

12098

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 24/1/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5013	दिनांक 31.08.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05-01-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 30.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	40 छमहियाँ
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 30.06.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6377

12098 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 231 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
प्रयागराज

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

पंजीकरण सं० 19/2010/P99500024928



पत्र सं०

12076

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 24/11/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, शाहजहाँपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नाथ वर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4950	दिनांक 14.07.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऐश्वरी वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.06.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	18,188
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9094
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3637
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5457
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		9094 दि० 31.03.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5457
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	56,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	28050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	28050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3637
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	24413
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	28050 दि० 31.03.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6328

12076 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर

2 श्री राम नाथ वर्मा, लेखाकार सेवानिवृत्त पता म० सिनाई, सुमेर नर्सिंग होम के पास गली में, सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल के सामने जिला शाहजहाँपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

शाहजहाँपुर

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13538

14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 24/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुलशन कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6625 दिनांक 31.10.2014
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती श्यामा अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700
(घ)	वेतन	₹ 68,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34,000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13,600
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20,400
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	34000 दि० 07.07.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20,400
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,75,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ -
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 87,750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 87,750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13,600
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74,150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 87750 दि० 07.07.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 52650 दि० 08.07.2021 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6381

13538 14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली
- श्री गुलशन कुमार, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता- मोनो 6 शांति विहार, डिजाइन ब्यू काम्पलेक्स के पीछे, पीलीभीत रोड, बरेली-243001

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यकी स्थापित कर भुगतान करें।

- अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विशेषज्ञ कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
अदित भवन, लखनऊ

पत्र सं० 11532 2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 24/01/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुष्कर नाथ सक्सेना सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4347 दिनांक 19-10-2010	22.06.2010
(ग) जन्मतिथि		30.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पलता सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.09.1954
2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ) वेतन	₹	60,340
(ङ) मूल पेंशन	₹	30170
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9738
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20432
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	9738
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68562
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6384 11532 2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- श्री पुष्कर नाथ सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-6 ए जनता कालोनी, शाहगंज, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12827

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5879 दिनांक 05-11-2012
(ग)	जन्मतिथि	01.08.2012
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेश अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.03.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 36940/- दि० 31.07.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 96900/- दि० 31.07.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6385

12827

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 24/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-25-ए, देवनगर मथुरा बाई पास रोड, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

23/1/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7612

1996-1997

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 24/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमर रजा पत्नी स्व० मोहम्मद शाफी सेवानिवृत्त
उल्लाह रजा

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3593 दिनांक 01-06-2006
(ग)	जन्मतिथि	08.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर रजा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.02.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1997 / 12.04.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750 / 10650-15200 / 15600-39100(6600)
(घ)	वेतन	₹ 11625
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7883
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 74000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 37000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22200
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 80 वर्ष पूर्ण करने पर	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6388

7612

1996-1997

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद।

श्रीमती कमर रजा पत्नी स्व० मोहम्मद शाफी उल्लाह रजा, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-1102, गली नीम वाली, किशन गंज सब्जी वाला चौक, आजाद नगर, उत्तरी दिल्ली।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करे

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8586

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24.1.19

कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कान्त वर्मा

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1184 दिनांक 20-10-2000	
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुशीला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नही
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/(37400-67000 GP 8900)	
(घ)	वेतन		19,100
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	6750 पुर्नस्थापित दिनांक 20.01.2016	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	17545 दिनांक 20.01.2016 तक तदुपरान्त 24295	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नही
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नही
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	6750 पुर्नस्थापित दिनांक 20.01.2016	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	60750 दिनांक 20.01.2016 तक तदुपरान्त 67500	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6414

8586

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी
- श्री कृष्ण कान्त वर्मा से०नि सहायक अभियन्ता पता 93ए अशोक नगर, कालोनी, पाण्डेपुर, वाराणसी
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13431

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

29/1/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मालती पाण्डेय पत्नी स्व० राधे श्याम सेवानिवृत्त पाण्डेय

चालक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6399

दिनांक

05.04.2014

(ग) जन्मतिथि

05.12.1958

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मालती पाण्डेय

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1967

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

23.10.2013

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(9300-34800) 5400/6600

(घ) वेतन

₹

28,950

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत माग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

14475 दि० 22.10.2023

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

8,685

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

56 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

9 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

75,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

37800 दि० 21.10.2023 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

22,680

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6520

13431 13-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती मालती पाण्डेय पत्नी स्व० राधे श्याम पाण्डेय, वाहन चालक दिवंगत, पता-मकान नं० 26, बालाजी इन्क्लेव चुन्नी खेड़ा, पारा रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष

सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7751

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2-11/8

आदर्श, कोषागार, लखनऊ

आदर्श, कोषागार

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बिमला सिंह पत्नी स्व० रणवीर पारिवारिक पेंशन प्रवर वर्ग सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
कुमार सिंह

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	383 दिनांक 29-11-1997
(ग)	जन्मतिथि	10.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिमला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.10.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 (37400-6700 ग्रेड पे 8700)
(घ)	वेतन	15,100
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	61,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

८९११

7751

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यंत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती बिमला सिंह पत्नी स्व० रणवीर कुमार सिंह, से०नि० प्रवर वर्ग सहायक पता 3/309 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आदर्श, कोषागार स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6532

12907

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 04/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश नारायण पाण्डेय

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5830	दिनांक 18/09/2012
(ग)	जन्मतिथि		01/09/1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.10.1956
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठौं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP, 10000
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15,400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23,100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38500 दि० 31.08.2017
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23,100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	99,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15,400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84,400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 31.08.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59,880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12907

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचना अभियन्ता, बिद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री जय प्रकाश नारायण पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 5/475, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

REGISTRATION NO. 2201081995502074928



पत्र सं०

10538

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

6/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० राम सिंह सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3216 दिनांक 30-08-2005
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सीता देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ रुम्ह!
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6841

10538

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।
- श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० श्री रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-123/4 ए, प्रगति नगर, साकेत, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

13348

2013-2014

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज कमल पत्नी स्व0 कैलाश चन्द्र कमल

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	6302 दिनांक 20.11.2013
(ग)	जन्मतिथि	12.07.1971
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज कमल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1973
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	15600-39600 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹ 22,280
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 11140/- दि0 27.03.2023
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6684/- दि0 28.03.2023
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	33 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 57,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 28900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 28900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 28900/- दि0 01.01.2016 से दि0 27.03.2023 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 17340/- दि0 28.03.2023 से अग्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6916

13348

2013-2014

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती सरोज कमल पत्नी स्व0 कैलाश चन्द्र कमल, सेवानिवृत्त, समीक्षा अधिकारी, पता-टाइप-द्वितीय/152, इन्दूलोक हाइडिल कालोनी, कृष्णानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष निम्नलिखित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11452

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19.

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहन राम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4578	दिनांक 14.09.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती श्यामरथी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.12.54
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6942

11452

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्री मोहन राम, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम-सराय पकवान (प्रयागपुर), पो० केशवपुर, जिला चन्दौली
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13762

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6905 दिनांक 07.11.2015	
(ग)	जन्मतिथि		12.09.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹	56,740
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28370
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17022
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		28370/- दि० 11.09.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17022
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	62152
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	73500/- दि० 11.09.1922 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6960

13762

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री राजपाल सिंह, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-म०ने०-सी-747/748, फेस-प्रथम, ट्रॉस यमुना कालोनी, आगरा-282006
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U22201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10761

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वी०वी०के० नायर

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3556	दिनांक 29.04.2006
(ग)	जन्मतिथि		27.03.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमा नायर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.05.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10205
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21650
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		61 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	77267
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	77267
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10205
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	67062
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

10761

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री वी०वी०के० नायर, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-5, बी, कलपाका फोर्ट, इडापल्ली राघवन पिल्लई रोड, पोस्ट-इडापल्ली, कोचीन केरल।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10163

04-05

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संसार सिंह पवार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2911	दिनांक 08.12.2004
(ग)	जन्मतिथि		31.12.1971
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुशीला पवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		14300-18300 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹	16,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹	18,215
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,223
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	14,992
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10,929
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65,300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	63,322
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	61,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	63,322
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,223
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	60,099
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39,180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अग्रणीत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7001

10163

04-05

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ
- श्री संसार सिंह पवार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 638/145, नई सैनिक कालोनी, मेरठ कैंट, मेरठ कंकर खेड़ा (उ०प्र०) 250001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समीक्षा कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
पश्चिम भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

6567/90-91

दिनांक

2018

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्मित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कान्ती देवी निगम पत्नी स्व० कैलाश प्रसाद निगम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	9876 08.05.1999
(ग)	जन्मतिथि	29.10.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ती देवी निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1933
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1990/11.06.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 G.P. 5400
(घ)	वेतन	Rs. 12,570.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	पुनर्स्थापित
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 4,155.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 10
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 69,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 34,500.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 34,500.00 dt. 11.06.2017 तक एवं 20% अतिरिक्त पेंशन Rs. 6,900.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 20,700.00 + 20% 4140 Rs. 24,840.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-7084 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 6567/90-91

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती कान्ती देवी निगम पत्नी स्व० कैलाश प्रसाद निगम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता:- ए-39, कमला नेहरू नगर, खुर्रमनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9307

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार जैन

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2136 दिनांक 28.01.2003
(ग)	जन्मतिथि	10.09.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उमा जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.06.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4,171
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23179 दि० 20.04.18 तक तदुपरान्त ₹ 27350/-प्र०म०
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16,410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81,150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 81,150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4,171
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ ₹ 76979/- दि० 20.04.18 तक तदुपरान्त ₹ 81150/-प्र०म०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48,690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7085

9307

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता 108 रोहताश इन्क्लेव, फैजाबाद रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै संपूर्ण प्रमाणित करें।

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11622

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4555

दिनांक

02.09.2009

(ग) जन्मतिथि

02.07.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती माया सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.01.1957

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2009/08.05.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

71,720

(ङ) मूल पेंशन

₹

-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

35860 दि० 01.07.2014 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

21,516

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,88,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

रु० 94100 दि० 01.07.2016 तक तदुपरान्त रु० 56460/-प्र०म०

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7086

11622

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता बी-38/42-43 मोहनीकुंज कालोनी, महरूमगंज, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12144

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19,

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्येन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5066 दिनांक 30.10.2010
(ग)	जन्मतिथि	03.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.08.54
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2010 / 17.09.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015 दि० 01.10.10 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32015 दि० 18.09.11 से 02.09.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 02.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830 दि० 03.09.17 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7082

12144

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्येन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता पता बी-37 साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष संपूर्ण कार्यवाही कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11599

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री छोटे लाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4508	दिनांक 30.07.2009
(ग)	जन्मतिथि		06.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्द्रावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28,435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9,730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18,705
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17,061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	73,800
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	73,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9,730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64,070
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44,280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7088

11599

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
2. श्री छोटे लाल, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता 16/12 टी, 50ए, तुलसी नगर कालोनी, टडिया चकपीही, पो० तपोवन आश्रम, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सत्यापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शांति गवन, लखनऊ।

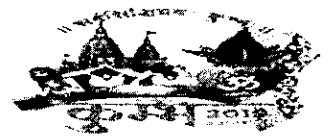
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

11616

09-10

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सोमनाथ दुबे

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4550	दिनांक 31.08.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		13.01.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000
(घ)	वेतन	₹	75,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37,625
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11,287
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26,338
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,575
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,98,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99,350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	99,350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11,287
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	88,063
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59,610
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	0

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7089

11616

09-10

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री सोमनाथ दुबे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, पता 19/767, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11658

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार दीक्षित

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6591	दिनांक 22.09.2014
(ग)	जन्मतिथि		10.05.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री पूनम दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.08.1959
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		25.03.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	57,740
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28,870
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10,512
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18,358
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17,322
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10,512
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	63,738
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7090

11658

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री विजय कुमार दीक्षित, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता बी-1/36, सेक्टर-एल, अलीगंज, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11661

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार देवरिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव पत्नी स्व०

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृष्णानन्द श्रीवास्तव
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4563

दिनांक

07.09.2009

(ग) जन्मतिथि

15.06.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

11.04.1947

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2009 / 09.03.2016

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8900

(घ) वेतन

₹

60,340

(ङ) मूल पेंशन

₹

30,170

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

9,730

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,440

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,702

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,56,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

78,300

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

78,300

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

9,730

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

68,570

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46,980

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्यापक उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7091

11661

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया

2 श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव पत्नी स्व० कृष्णा नन्द श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 16/280, राघव नगर, शाह निवास के पीछे, देवरिया

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

देवरिया

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति प्राप्त/कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

वेमटे

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11609

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

विष्णु दत्त गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4694

दिनांक

10.12.2009

(ग) जन्मतिथि

16.04.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

23.12.1949

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

71,720

(ङ) मूल पेंशन

₹

35,860

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

12,432

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23,428

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

21,516

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,88,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

94,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

94,100

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

12,432

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

81,668

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

56,460

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7092

11609

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2. श्री विष्णु दत्त गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता एच०आई०जी०/24, अवन्तिका फेज-1, ए०डी०ए० कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकि। भवन, लखनऊ।

विशेष कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

राकि। भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11668

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दूधनाथ उपाध्याय

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6068 दिनांक 06.05.2013
(ग)	जन्मतिथि	25.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी उपाध्याय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	31.07.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37000-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,380
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35690
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22102
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21414

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13586
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 80512
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7095

11668

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2. श्री दूधनाथ उपाध्याय, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न० बी-23/45, पी-2 मॉ शारदा नगर कालोनी, नई बस्ती खोजवाँ, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समर्क स्थापित करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11699

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बल्लभ देव नारायण तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4855	दिनांक 19.04.2010
(ग)	जन्मतिथि		19.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती धनपूर्णा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37000-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7626
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22544
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7626
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70674
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7094

11699

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया

श्री बल्लभ देव नारायण तिवारी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता साकेत नगर, न्यू कालोनी, मकान नं० 318/1 चकियवा रोड, महाराणाप्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार देवरिया को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विप्लव कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11621

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवि दत्त तिवारी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4590 दिनांक 25.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	21.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विनीता तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.11.54
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	31.07.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37000-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13310
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22550
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13310
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 80790
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

3095

11621

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परियोजना विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्री रवि दत्त तिवारी, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त पता टी-906 वसुन्धरा वैली अपार्टमेंट, सेक्टर-6 वसुन्धरा, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सत्यापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12148

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम सागर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5012	दिनांक 31.08.2010
(ग)	जन्मतिथि		05.05.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अनारकली तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17-10-1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि		31.05.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37000-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62.160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 04.05.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	70598
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 04.05.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7096

12148

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्री प्रेम सागर, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 672/163 एच०, सोहबतियाबाग, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12756

11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

8/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5829	दिनांक 24.09.2012
(ग)	जन्मतिथि		05.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना चक्रवर्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.04.59
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37000-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 04.01.19 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7097

12756

11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 198ए रवीन्द्र पल्ली, फौजाबाद रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

स० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13618

14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6678	दिनांक 06.01.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेखा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.57
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.14
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37000-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	68,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13600
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20400
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		34000 दि० 30.11.19 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20400
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	175,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	87750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	87750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	87750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13600
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	87750 दि० 30.11.21 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52650
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7098

13618

14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता 4/13, विकास नगर, लखनऊ-228022

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण संधारित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
आदर्श भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11613

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4755 दिनांक	04.02.2010
(ग)	जन्मतिथि	05.07.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सोमवंशी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.12.1954
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-6700 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12986
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23954
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12986
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	83914
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11613

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली
- श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता सी-78, राजेन्द्र नगर, बरेली-243122

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष संपूर्ण कार्य कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6174

87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा सेन पत्नी स्व० ब्रजेन्द्र सेन सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2509 दिनांक 06.02.2004
(ग)	जन्मतिथि	00.01.1900
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा सेन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.11.1936
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1988 / 26.09.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 63,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ दि० 01.01.16 से 14.11.16 से ₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 20प्रति० अतिरिक्त दि० 15.11.2016 से ₹ 10284/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7100

6174

87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिवर्धित विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
- श्रीमती मीरा सेन पत्नी स्व० बिजेन्द्र सेन, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता 61/1, चकराता रोड, देहरादून

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10680

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वतंत्र कुमार

सेवानिवृत्त

उपमुख्य अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3505/651 दिनांक 29.03.2006/07.02.2012
(ग)	जन्मतिथि	15.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा वाष्णीय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13.12.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2005/01.01.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7101

10680

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2 श्री स्वतंत्र कुमार, सेवानिवृत्त उपखण्डाधिकारी, पता-7 टीकाराम क्वाटर विष्णुपुरी अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12453

2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

08-02-18

कोषाधिकारी,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बीरपाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5326	दिनांक 28.06.2011
(ग) जन्मतिथि		07.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोज कुमार
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.01.11
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	₹	64,030
(ङ) मूल पेंशन	₹	32015
(घ) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	166,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7102 /

12453

2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 08-02-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2 श्री बीरपाल सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 44 कबीर कुंज, दयाल बाग, आगरा-282005

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पूर्ण स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10681

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी स्व० शिव मूरत पसाद सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3861 दिनांक 07.12.2006
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजकुमारी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.10.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14849
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7103

10681

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- 2 श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी स्व० शिव मूरत पसाद, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-बी 38/20 ए 25 ब्रम्हानन्द कालोनी इक्टो-1, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-221005.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12407

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आयशा खातून पत्नी स्व० मो० इस्लाम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5740 दिनांक 09.07.2012
(ग)	जन्मतिथि	12.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आयशा खातून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.54
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010/15.09.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 11.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 11.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7104

12407

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
- श्रीमती आयशा खातून पत्नी स्व० मो० इस्लाम, सहायक अभियन्ता पता 658 मुहल्ला-नुरुद्दीन शहीद, पो० फुलवरिया, जिला वाराणसी-221106

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सामक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8376

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/18

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शशि प्रकाश मटनागर

वरिष्ठ सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1159 दिनांक 26.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेम मटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.10.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7105

8376

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री शशि प्रकाश मटनागर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, पता-कै-601, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

लेखाधिकारी प्रकाश (पेंशन)

उ० प्र० पा० कार० लि०
शक्ति भवन लखनऊ

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6295

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लक्ष्मी देवी जोशी पत्नी स्व० जीवन चन्द्र जोशी सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6976

दिनांक

15.12.1989

(ग) जन्मतिथि

अंकित नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती लक्ष्मी देवी जोशी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

03.08.1936

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.1988 / 19.11.1990

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

5000-6300 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

5,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

11120

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 13

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(च) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

39330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

दि० 03.08.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 7866

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7106

6295

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मध्यमवोल्ट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बरेली।

2. श्रीमती लक्ष्मी देवी जोशी पत्नी स्व० जीवन चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता पता 129 नीयर बैंक ऑफ बोर्ड सिविल लाइन्स बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

बरेली।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष प्रत्येक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

पं० नं० १९९९/२०००/३०४०२०/२२८



पत्र सं०

8192

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिन्दा प्रसाद

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	793 दिनांक 31.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1945
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि	31.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300
(घ)	वेतन	₹ 15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10306
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7107

8192

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची, अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्री बिन्दा प्रसाद, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-म०न०'28, गम- मडियौव, गोंद, मौर्या टोला, जानकीपुरम, लखनऊ, लखनऊ-226021,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिसूची, अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11502

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4580	दिनांक 16.09.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती संध्या श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.03.53
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7108

11502

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
- 2 श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 64 चन्द्रिका नगर कालोनी, पो० सिगरा, वाराणसी-221010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

11625

09-10

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/12/19

कोषाधिकारी,

कोषागार कुशीनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री माधव

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5287	दिनांक 25.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		प्रभावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30,170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9,730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78,300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	78,300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9,730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68,570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46,980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7109

11625

09-10

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि0, देवरिया।

2 श्री माधव, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता ग्राम मंगलपुर, पो0 सिरसिया खुहिया, जनपद कुशीनगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कुशीनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विशेष कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7673 1997-98 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 8/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
गौतमबुद्ध नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अम्बा प्रसाद सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्रथम) का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6987 दिनांक 24.02.2016		
(ग) जन्मतिथि			10.08.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मिथलेश गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			07.07.1940
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			21350-525-23975
(घ) वेतन	₹		63,000
(ङ) मूल पेंशन	₹		31500
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		31500
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18900
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०		
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,71,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85700
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		85700
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		85700
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51420
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7111 7673 1997-98 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

2. श्री अम्बा प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्रथम) पता- ए-706, रामकुण्ड सी०जी०एस०एस० लि० प्लॉट नं०-12 सेक्टर-23 द्वारका, नई दिल्ली-110075

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पा०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(हस्ताक्षर)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

Union Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

Pension PENSION CINI U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10676

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कृष्णा मलिक पत्नी स्व० पंकज कुमार मलिक सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3337 दिनांक 07.12.2005
(ग)	जन्मतिथि	30.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णा मलिक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2005/24.11.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7/12

10676

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती कृष्णा मलिक पत्नी स्व० पंकज कुमार मलिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-2/80, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

12/11/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11590

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती चमन देवी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4942 दिनांक 29.06.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चमन देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008/11.11.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14937
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980 दि० 01.01.2016 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7113

11590

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- श्रीमती चमन देवी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- अशर्फी भवन, 329 नेहरू नगर, गली नं० 3 गढ़ रोड, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० माल कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० संपदा को संपत्ति)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पं. नं० 12/2017/1995GCO/1921



पत्र सं०

10636

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

8/2/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

फतेहपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3322 दिनांक 17.11.2005
(ग)	जन्मतिथि	04.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2502
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21793
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2502
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64998
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1114

10636

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, फतेहपुर।

2. श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-125, कृष्ण बिहारी नगर, नयी कालोनी, वर्मा चौराहा, फतेहपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फतेहपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

11/2/18



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10699

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/18.

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिजेन्द्र नाथ

सेवानिवृत्त

अधिशारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3495 दिनांक 18.03.2006

(ग) जन्मतिथि

08.01.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती अरुणा गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

15.08.1950

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

63,710

(ङ) मूल पेंशन

₹

31,855

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

11,042

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,813

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19,113

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

14 तालिका नं०

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,67,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

83,600

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

83,600

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

11,042

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

72,558

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

50,160

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अग्रणीत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7115.

10699

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशारी अभियन्ता, बिद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री बिजेन्द्र नाथ, सेवानिवृत्त अधिशारी अभियन्ता, पता 19/301, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सापेक्ष समय स्थापित करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनेश्वर कुमार (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11913

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश नाथ

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4899	दिनांक 22.05.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.02.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29,290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9,446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17,574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76,000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9,446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	66,554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45,600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7/16

11913

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी
2. श्री कैलाश नाथ, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता मकान नं० एन-14/114, एल-7 रासयनचन्द (खाजवा), वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष से पत्रांक संशोधित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबरमंडल, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
अविनाश भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (IN-132201UP1999SGC024928)



पत्र सं०

10670

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बनी सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3411/10170	दिनांक 31.01.2006/23.11.2011
(ग)	जन्मतिथि		15.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अंगूरी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		13.12.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2753
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	1542
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	69550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2753
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66797
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7117

10670

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री बनी सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता पता- निवासी केनरा बैंक भवन, जलालपुर खैर रोड, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 10695
2005-2006
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन
दिनांक: 8/2/19.

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती महेश्वरी मिश्र पत्नी स्व० राज सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	3354 दिनांक 16.12.2005	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या		01.01.1951
(ग) जन्मतिथि		श्रीमती महेश्वरी मिश्र
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		08.11.1951
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.03.2005
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		पांचवा वेतनमान
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		14300-18300
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		
(घ) वेतन	₹	17,900
(ङ) मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		54 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,34,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40350
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7123.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती महेश्वरी मिश्र पत्नी स्व० राज नारायण, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकार, पता- 10 अक्वमुरी, सर्वोदय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

10695

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

31/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10684

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री निर्मल कुमार जायसवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3385	दिनांक 17.01.2006
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.05.1952
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	69550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7/2/19

10684

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर।
- श्री निर्मल कुमार जायसवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-न्यू कालोनी हुसेनाबाद, सराब गोदाम, के पीछे जौनपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)



पत्र सं०

7746

1997-1998

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव पत्नी स्व० माता सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	378 दिनांक 25.11.1997
(ग)	जन्मतिथि	20.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.11.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997 / 29.09.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300
(घ)	वेतन	₹ 14,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7/25

7746

1997-1998

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद।

2. श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव पत्नी स्व० माता प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-म०न०-262 साहेबगंज (पोस्ट-आफिस के बगल में) पो-साहेबगंज फैजाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8377

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती वर्मा पत्नी स्व० तुलसी राम पारिवारिक अनुचर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1012 दिनांक 11-05-2000
(ग)	जन्मतिथि	27.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.07.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	17.06.199
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	5,900
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4218
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 06
(ख)	निर्धारित वेतन	40,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	20,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	20100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	12060
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

7126

8377

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, निधुत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती शान्ती वर्मा पत्नी स्व० तुलसी राम, अनुचर, पता 587/140 ग्राम सालेहनगर, पोस्ट भदरूख जिला लखनऊ
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11969

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बसन्त सिंह

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5264 दिनांक 29.04.2011	
(ग)	जन्मतिथि		16.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रजमानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.10.1953
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	73,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36600
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13926
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22674
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21960
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13926
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹	80174
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7127

11969

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन रोल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री बसन्त सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता- म०न०-एच०आई०जी०-4, सेक्टर-बी-1, प्रियदर्शनी कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रों के सापेक्ष समारक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6339

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजेश अग्रवाल पत्नी स्व० जे० सी० सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8408 दिनांक 23.03.1991
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.10.1936
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1989/04.08.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 18.10.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 7866/₹ 47196

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7128

6339

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक निकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती राजेश अग्रवाल पत्नी स्व० जे० सी० अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-सी० 376, इन्दिरा नगर लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11448

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कुमार रावत पुत्र स्व० रामतेज

सेवानिवृत्त

साइक्लो आपरेटर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4272 दिनांक 05.02.2009
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री अरुण कुमार रावत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.01.1991
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.01.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	9300-34800/5300-8600
(घ)	वेतन	₹ 6,350
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4,306
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संझान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 12420/- दि० 24.07.16 तक (25 वर्ष) आयु पूर्ण करने तक
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7129

11448

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री अरुण कुमार रावत पुत्र स्व० रामतेज, साइक्लो आपरेटर, पता ग्राम व पोस्ट इन्दारा, तहसील बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्षात् समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10749

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रवीन सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3485

दिनांक

17.03.2006

(ग) जन्मतिथि

07.10.1947

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शान्ती सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

10.10.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिदंगत तिथि

31.10.2005

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

₹

22,400

(ङ) मूल पेंशन

₹

23288

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

5272

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

18016

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

13890

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

58 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,62,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

81150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

5272

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

75878

(च) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7130

10749

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री प्रवीन सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-3/320, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श, कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदद निहासे वमा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13009

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/12/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बलवीर सिंह बल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण

अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5920 दिनांक 14.12.2012
(ग)	जन्मतिथि	30.12.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रीटा बल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.06.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ रु० 38500/-दि० 30.09.2019 तक
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ रु० 99800/-दि० 30.09.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7/131

13009

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बलवीर सिंह बल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-बी-704, रोहतास हेमटन कोर्ट अपार्टमेंट (नियर) पिक्केडली होटल, कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० प्रकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10760

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे श्याम गौड़

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3452 दिनांक 27.02.2006
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधुबाला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 17,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3892
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19158
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3892
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	₹ 63358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7132

10760

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ।
2. श्री राधेश्याम गौड़, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-आल्ड के-257, शास्त्री नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
8/2/19

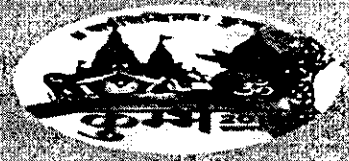


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10741

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शमीमुदीन अब्बासी

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3686	दिनांक 10.08.2006
(ग)	जन्मतिथि		02.03.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेहाना अब्बासी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6976
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20629
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		63 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	68394
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	68394
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6976
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	61418
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7133

10741

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री शमीमुदीन अब्बासी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एच-85, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के मापक सम्पर्क स्थापित कर

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र०-पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8277

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2247 दिनांक 09.06.2003
(ग)	जन्मतिथि	08.10.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना कस्तूरिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.11.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7134.

8277

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
2. श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-सी-6/2, जी०एफ०, मियां वाली नगर, पश्चिम बिहार नई, दिल्ली-110087.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रों

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12908

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/10/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम अवतार सिंघल

रोयानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में:

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5805	दिनांक 06.09.2012
(ग)	जन्मतिथि		03.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमलेश सिंघल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.04.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25195
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		₹ 25195/- दि० 02.03.2017 से
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65300
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10078
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन लिया जायें	₹	55222
(च)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	₹ 65300/- दि० 02.03.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7136

12908

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- 2 श्री राम अवतार सिंघल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-20 आर०के० पुरम निकट सम्प्रत लॉज, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करे

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट: उ०प्र०पा०का०/ले०, शक्ति भवन, लेखनांक 1

महेश्वरी (पेंशन)
नमो
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10748

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3450 दिनांक 25.02.2006
(ग)	जन्मतिथि	24.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 17,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3444
(ङ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19606
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 67250
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3444
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 63806
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

71376

10748

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।
- श्री प्रेम कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता-हाउस नं०-404, अशाका सोसाइटी, नियर सनातन धर्म मन्दिर, गुडगाँव, सक्टर-56, गुडगाँव।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सामने साक्षर रथापित कर
M. R. G. M. S.
लेखाधिकारी (पेंशन)
8/2/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9145

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उर्मिला चन्द्रा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र सक्सेना

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ
लेखाधिकारी,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1877 दिनांक 21.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	16.06.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला चन्द्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.08.1934
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2002 / 11.02.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 19,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्पसुद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7138

9145

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री उर्मिला चन्द्रा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता:-म०न०-529क/744, खुर्रम नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श, कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सम्बन्ध में कार्य स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10750

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेश्वरी प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3401 दिनांक 30.01.2006
(ग)	जन्मतिथि	09.04.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	-
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 69550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो युका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7139

10750

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वयल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री राजेश्वरी प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-96, बनकटी चक, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।
महेश्वरी प्रसाद
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन
गोरखपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12867

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

सोनमद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुनी सिंह कुशवाहा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5735 दिनांक 29.06.2012
(ग)	जन्मतिथि	10.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कलावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2140

12867

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, राबर्ट्सगंज, सोनमद।
2. श्री मुनी सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम छपका (132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के सामने), पोस्ट-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनमद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

सोनमद

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के मापसंद समर्थक स्थापित कर
महोदय के नाम
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6609

90-91

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

08-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र नाथ रिख

सेवानिवृत्त

अध्यक्ष

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8826	दिनांक 01.04.1992
(ग)	जन्मतिथि		18.04.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना रिख
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.09.43
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.91
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8000
(घ)	वेतन	₹	26,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	40000 + 8000 20 प्रति० अतिरिक्त कुल 48000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	48000
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	24000
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	शासन की तालिका सं० 57	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	225,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	112500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	112500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	112500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	112500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	67500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 20 प्रति० अतिरिक्त ₹ 22500 तदुपरान्त दि० 18.04.18 से 30 प्रति० अतिरिक्त ₹ 33750 00 प्र०मा०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7141

6609

90-91

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
- श्री वीरेन्द्र नाथ रिख, अध्यक्ष सेवानिवृत्त पता 188ए साकेत, एल०आई०सी० रोड मेरठ, मेरठ कचहरी, मेरठ-250003

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० सरकार का उपक्रम

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7040

1992-1993

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 08/02/2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री समीर कुमार संरक्षक कु० शिल्पा गुप्ता पुत्री
स्व० सुशील कुमार

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-प्रथम,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9396 दिनांक 30.08.1993
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	कु० शिल्पा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 63,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7147

7040

1992-1993

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री समीर कुमार संरक्षक कु० शिल्पा गुप्ता पुत्री स्व० सुशील कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-2/23 विकास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 11691 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19
कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4568 दिनांक 09.09.2009
(ग) जन्मतिथि	25.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ) वेतन	₹ 20.000
(ङ) मूल पेंशन	₹ 24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1.39.100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66510
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7265 11691 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर कानपुर।
2. श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-304, सी-ब्लॉक, पनकी कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रों

दिनांक के सापेक्ष ससर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7279

7763

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/02/2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० ममता सिंह पुत्री स्व० रघुपति सिंह

अनुसचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	411 दिनांक 18.01.1998
(ग) जन्मतिथि	31.01.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	कु० ममता सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.07.1972
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1997 / 13.09.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ) वेतन	₹ 15,500
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्यापक उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

11/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7279

7763

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12-02-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. कु० ममता सिंह पुत्री स्व० रघुपति सिंह, सेवानिवृत्त अनुसचिव, पता-म०न०-1111, गोला बाजार, सदर कैण्ट, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9054 दिनांक 12/2/19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7287

7909

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी स्व० सुमेश चन्द्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	पारिवारिक पेंशनर
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	590 दिनांक 11.01.1999
(ग) जन्मतिथि	02.09.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1998/04.02.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ) वेतन	₹ 21,875
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 15
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85700
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7287

7909

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर गाजियाबाद।

2. श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी स्व० सुमेश चन्द्र, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता पता-ए०-306, मो० अपार्टमेंट नियर धर्मशाला हॉस्पिटल वासुन्दर इनकल्बा दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9082 दिनांक: 19.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विजयेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7306

7809

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी स्व० मुरली
मनोहर अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

586 दिनांक 06.01.1999

(ग) जन्मतिथि

30.12.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

18.05.1997

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

₹

19,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

56 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,48,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

74250

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44550

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7306

7809

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिधिर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी स्व० मुरली मनोहर अग्रवाल, सेवानिवृत्ता, अधिकासी अभियन्ता, पता-जे 20, माडल टाउन, कंकर खेड़ा, मेरठ कैण्ट, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक 9081 दिनांक-17.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कृत भुगतान प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10074

04-05

उ०प्र०/

दिनांक- 12-02-2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ननकौना प्रसाद

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4262	दिनांक 19.01.2009
(ग)	जन्मतिथि		27.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		21-03-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-04
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	23,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26107
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6371
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19736
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

63 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	79800
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	79800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	79800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6371
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	73429
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7325

10074

04-05

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री ननकौना प्रसाद, महाप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता म०नं० 12/624, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न रखित का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7331

7851

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ संख्या	578 दिनांक 24.12.1998
(ग) जन्मतिथि	01.08.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ) वेतन	₹ 21,400
(ङ) मूल पेंशन	₹ 23223
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23223
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 76500
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76500
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7331

7851

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-नवल वाराणसी।

2. श्री कृष्ण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-डी-63/63ए-5 आदर्श नगर महमूर गन्ज वाराणसी-221010।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक 9106 दिनांक: 17.02.2019 के सापेक्ष समूह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्री ज्ञान मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० वर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7332

7869

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी स्व० अनन्त
राम तिवारी

सेवानिवृत्त लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

833 दिनांक 15.10.1999

(ग) जन्मतिथि

15.07.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती उर्मिला तिवारी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

18.06.1944

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.1998 / 31.10.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

2225-3500 / 6500-11000 / 9300-34800 ग्रेड पे-4800

(घ) वेतन

₹

9,700

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

6577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444
दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 8

(ख) निर्धारित वेतन

₹

60,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक
01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

30200

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

18120

लागू नहीं

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7332

7869

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्री दिनेश मेहता सहायक लेखाधिकारी अधिरासी अभियन्ता पता-सी-2250 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9107 दिनांक: 17.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7338

7866

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा

सेवानिवृत्त

अनुभाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	525 दिनांक 18.08.1998
(ग)	जन्मतिथि	26.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.05.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-2000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 16,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7338

7866

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-172/8 फूलमती मिश्रा भवन, डा०वी०एन० वर्मा रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9113 दिनांक: 16.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7352

7885

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी पत्नी स्व० हरी शंकर त्रिपाठी,

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	592 दिनांक 12.01.1999
(ग)	जन्मतिथि	31.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.02.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	17.02.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 17,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 48

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7352

7885

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमुख्य लेखाधिकारी केरको, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

2. श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी पत्नी स्व० हरी शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-के-2, अस्सी फिट रोड, यशोदा नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9127 दिनांक 17.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7357

7886

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्दर लाल

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	603 दिनांक 28.01.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 16,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 59

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 58598
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7357

7886

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री चन्दर लाल, सेवानिवृत्ति लेखाधिकारी, पता-1/516 विनय खण्ड-प्रथम, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9132 दिनांक 17.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थिति का भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7358

7890

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जोगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	652	दिनांक 01.04.1999
(ग)	जन्मतिथि		01.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹	15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17967
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17967
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(क)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	63400
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7358

7890

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद।
- श्री जोगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-211, कंधारी बाजार, रिकार्डगंज फैजाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9133 दिनांक 16.02.2019 के सापेक्ष सम्बंधित भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता निश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7359

7249

1994-1995

उ०म०प्र० /

दिनांक-14.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रमोद कुमार माथुर

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9933 दिनांक 03.08.1995

(ग) जन्मतिथि

10.01.1937

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती उमा कान्ती माथुर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.08.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.1995

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

4250-5600 / 37400-67000 ग्रेड पे-8700

(घ) वेतन

₹

5,600

(ङ) मूल पेंशन

₹

16159

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

9696

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

58 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,26,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

63400

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

55716

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

61550

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

61550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

61550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

38040

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

दि० 10.01.2017 से 12310/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7359

7249

1994-1995

उ०म०प्र० /

दिनांक-14.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री प्रमोद कुमार माथुर, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-जगन्नाथ मन्दिर-2, कावेरी कुंज फेज-3, कमला नगर आगरा-282005।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा।

को प्रेषित पत्रांक 9134 दिनांक-15.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

आदेशित लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7364

6943

1992-1993 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9466 दिनांक 06.11.1993	
(ग)	जन्मतिथि		17.10.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कृष्णा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.11.1937
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300 / 16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29154
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	29154
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	54 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		65550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	53632
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 13110/-दि० 17.10.2019 तक तदुपरान्त 19665/-दि० 18.10.2019 से लागू	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7364

6943

1992-1993 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता 9, देवलोक कालोनी, कुर्सी रोड विष्णुपुरी, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9139 दिनांक-18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7365

10243

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र नाथ राय

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

अधिवर्षता	
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3016 दिनांक 22.02.2005
(ग) जन्मतिथि	07.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा राय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.03.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ) वेतन	₹ 20,000
(ङ) मूल पेंशन	₹ 24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66510 /- दि०-22.05.2020 तक तदपुरान्त 69550 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7365

10243

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।

2. श्री जितेन्द्र नाथ राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 35 एम०आई०जी० स्टेशन रोड, निकट कमलानगर, इलाहाबाद-211002

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक 9140 दिनांक-19.02.2019 के संकेत समान स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7373

10835

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव बालक सिंह कुशवाहा

सेवानिवृत्त

सहायक समीक्षा

अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3489 दिनांक 18.03.2006	
(ग)	जन्मतिथि		31.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गंगा श्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे-4200	
(घ)	वेतन	₹	6,725
(ङ)	मूल पेंशन	₹	8355
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3342
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5013
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 (बी) तालिका नं०	
(क)	निर्धारित वेतन	₹	43,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	21950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	21950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3342
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	18608 / -दि०-15.04.2021 तक तदपुरान्त 21950 / -
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	13170
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7373

10835

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री शिव बालक सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी, पता-ई5296/11, निकट पत्थर कटा मस्जिद, संकट हरण मन्दिर के पीछे, राजाजीपुरम्, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9148 दिनांक-17.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



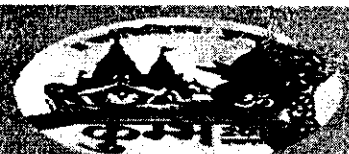
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-11322010181999SGC024928



पत्र सं०

10187

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम प्रकाश सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3043 दिनांक 11.03.2005
(ग)	जन्मतिथि	22.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 68159
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65119
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7377

10187

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- 2 श्री प्रेम प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-134 बी, महुई, सुधपु, पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

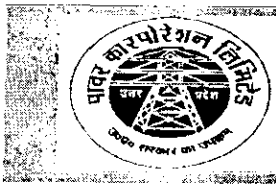
के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
पेंशन PENSION CIN: U322010B1999SGC024528



पत्र सं०

11441

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4428	दिनांक 29.04.2009
(ग)	जन्मतिथि		20.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कान्ति वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.01.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14169
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,52,000
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1372

11441

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-286 एफ०, शक्ति नगर, गोरखपुर।

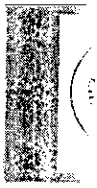
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10764

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी

वाराणसी

विषय:-

दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

सेवाभित्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/

(क) प

(ख) प

(ग) उ

(घ) पारि

(ङ) प

2. (क) रे

(ख) त

(ग) टे

(घ) र

(ङ) म

(च) र

(छ) र

(ज) प

(झ) र

(ण) र

3. र

(क) र

(ख) र

4. र

(क) र

(ख) र

(ग) र

(घ) र

(ङ) र

(च) र

(छ) र

(ज) र

(झ) र

(ण) र

(क) र

(ख) र

(ग) र

(घ) र

(ङ) र

(च) र

(छ) र

(ज) र

(झ) र

(ण) र

5. कारपोरेशन

उपर्युक्त दिनांक

दिनांक 01

सम्बन्ध में

अधिवर्षता

3465 दिनांक 10.03.2006

22.11.1947

श्रीमती जायन्ती देवी

अकित नहीं

30.11.2005

पंचम वेतनमान

16400-20000 / 37400-67000 (10000)

20,000

23150

4560

18590

लागू नहीं

13890

66 छमाहियाँ

वेतन निर्धारण :-

नं० (आदेश सं०-444

13 तालिका सं०

1,39,100

के अनुसार

स्थिति में

के अन्तर्गत लागू

प्रत्यक्ष पेंशन

के अनुसार निर्धारित

पेंशन (राशिकरण से

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7379

10764

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 13-2-19

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

ग्रन्थ-प्रथम, पूर्वोक्त विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगर, वाराणसी।

अभियन्ता, पता-वी०-35/70, वी०-3, तुलसीनगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी।

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13931

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मधुसूदन प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7435 दिनांक 31.08.2018
(ग)	जन्मतिथि	09.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संगीता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.12.1971
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	57040+8900 65940
(घ)	वेतन	₹ 65,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13,188
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,782
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32,970
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,782
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 85,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13,188
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72,362
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85,550
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7381

13931

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-2-19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्धल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री मधुसूदन प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पला बेतिया हाता (निकट शिव मन्दिर), मकान नं० सी-179/477, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, देवराइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मदत देवराइट

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10767

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी, कोषागार,

महोबा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश कुमार उपाध्याय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3539 दिनांक 17.04.2006
(ग)	जन्मतिथि	08.11.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रघुवंशी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.01.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (वही हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7382

10767

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-2-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, महोबा।
- श्री सतीश कुमार उपाध्याय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मुटुल्ला मटियाना, खनगा बाजार चौराहा, महोबा, जिला-महोबा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

महोबा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)
13-2-19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10776

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13.2.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3642 दिनांक 10.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	31.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 25983
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19713
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 81150
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 5 प्रतिशत दण्ड के पश्चात ₹ 77092/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70822
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7383

10776

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री संतोष कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-1/102, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10765

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कुमार बंसल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3986 दिनांक 30.04.2007
(ग)	जन्मतिथि	25.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लक्ष्मी बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.08.1948
2(क)	सेवानिवृत्ति/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्कालीन मास वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेंट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेंट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 69550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनः घटे हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायें	₹ 64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक् आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7384

10765

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अभियन्ता सी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
2. श्री कुमार बंसल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्रथम-5 कर्मयोगी एन्क्लेव, कमला नगर, आगरा।

इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अभिप्रेत अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ।

13/2/19
म. लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10772

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-2-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्मवीर सिंह डांगर

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3575 दिनांक 17.05.2006
(ग)	जन्मतिथि	18.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पंकज डांगर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.03.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2006/06.05.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (11000)
(घ)	वेतन	₹ 70,920
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21276
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7385

10772

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. श्री धर्मवीर सिंह डांगर, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-ए-13, दैशाली, कालोनी, गढ़रोड, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के माध्यम से प्रेषित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10773

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम प्रसाद चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3421	दिनांक 14.02.2006
(ग)	जन्मतिथि		12.11.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लाली देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23150
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18590
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7386

10773

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर।
- श्री राम प्रसाद चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-1348/4ए, विवेकानन्द नगर, सुल्तानपुर-228001, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6659

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.2.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8852 दिनांक 28.04.1952
(ग)	जन्मतिथि	02.08.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10650-15200
(घ)	वेतन	₹ 4.250
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 14820
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 78.500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 39250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 39250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 39250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आशु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से दि० 01.08.17 20 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 7850/- दि० 02.08.17 से अग्रेतर 30 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 11775/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7387

6659

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-93, रंग-बी, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पन्न भाग में स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8627

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी स्व० दुर्गा लाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/दिवंगत
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1364 दिनांक 16.03.2001
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2000/10.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 12,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8543
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 78,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 23550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7388

8627

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी स्व० दुर्गा लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-निकट पी०ए०सी० कैम्प, बिछिया, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

13/2/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP10999SGC024928



पत्र सं०

10777

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13.2.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुहेल अहमद सिद्दकी

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4405	दिनांक 01.04.2009
(ग)	जन्मतिथि		05.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नाहिद सिद्दकी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.01.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		03.08.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		10650-15200/15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	14,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16443
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4365
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	12078
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9866
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	88,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	44200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	44200
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	44200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4365
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	39835
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	26520
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7390

10777

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुहेल अहमद सिद्दकी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-467/175/ई-प्रथम मोहनी पुरवा, रोड, शीश महल कालोनी, हुसैनाबाद लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13/2/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

9157

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.12.15

कोषाधिकारी, कोषागार,

आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवीन्द्र नाथ मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	1892 दिनांक 10.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	02.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.08.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 60360/- दि0 10.10.2017 तक तदुपरान्त ₹0 63400/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7392

9157

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, आजमगढ़।

2. श्री रवीन्द्र नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बड़ा गोंद, आजमगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11597

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.2.19

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता विष्ट पत्नी स्व० प्रेम सिंह विष्ट

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4544 दिनांक 27.08.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.04.1963
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता विष्ट
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.11.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	07.08.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500
(घ)	वेतन	₹ 11,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5,085
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 20,700
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7393

11597

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली
- श्रीमती गीता विष्ट पत्नी स्व० प्रेम सिंह विष्ट (दिवंगत) सहायक अभियन्ता, पता म०न० ई-139 कर्मपुरा, नई दिल्ली-110015

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मदन सिंह

13.2.19

कोषाधिकारी (पेंशन)

मदन सिंह

13.2.19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11593

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-2-19

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शौकत अली

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4499 दिनांक 25.07.2009
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बदरुन निशा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30,170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9,730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20,440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	अंकित नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78,300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78,300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9,730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 68,570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46,980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7394

11593

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री शौकत अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम रामपुर मिश्र, पो० चोंदपुर, जिला बलिया (उ०प्र०)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें

3

अधिशासी अभियन्ता, देवराइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

महोदय, कोषाधिकारी (पेंशन) कोषागार कानपुर



उम0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

उम0प्र0 सरकार का समकम

विद्युत व यांत्रिक इकाई, उम0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

1072, 29, कानपुर रोड, लखनऊ-226002

PENSION/IN-03/2010/13-02-19



पत्र सं0

10645

2005-2006

उम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4145 दिनांक 11.02.2008
(ग)	जन्मतिथि	14.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजकुमारी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.03.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24148
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5467
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18681
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 76232
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76232
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5467
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70765
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

10645

2005-2006

उम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उम0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-कै0-985, से0-कै0 आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13110

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुरुदीप सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6041 दिनांक 04.04.2013
(ग)	जन्मतिथि	15.10.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दर्शन कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.08.1960
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32980/-दि० 14.10.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 85550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹ 72358/-दि० 14.10.2019 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7297

13110

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 17/71, सिविल लाइन्स, कानपुर।
2. श्री गुरुदीप सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 118/328 प्लेट नं० एस०-1, कौशलपुरी, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अभिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7402

1995-1996

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० संजीवन लाल श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	111 दिनांक 26.07.1996
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1940
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.02.1996/13.05.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 15,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7392

7402

1995-1996

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिष्ठिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० संजीवन लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कायालय सहायक अभियन्ता, पता:- बी-2/55 प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

म. लेखाधिकारी (पेंशन)
लखनऊ
दिनांक 13/02/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13187

13-14

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13.02.19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार सपरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6282 दिनांक 07.11.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.06.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेहलता सपरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1963
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,980
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13,192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32,980
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,788
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 85,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13,192
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72,358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85,550
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7379

13187

13-14

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री नरेन्द्र कुमार सपरा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ए-66, लोहिया नगर, न्यू गाजियाबाद (उपग्रो)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रों

दिनांक

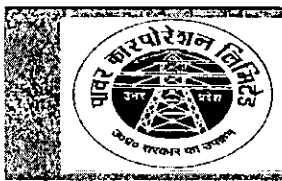
भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपादकादिलि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIRCULAR 2201UP1995GC024928



पत्र सं०

7403

9973

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार सेठ

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2715 दिनांक 10-08-04
(ग)	जन्मतिथि	02-05-46
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेनू सेठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05-11-54
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-05-04
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2994
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21301
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2994
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66556 दि० 02.09.2019 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7403

9973

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सुरेन्द्र कुमार सेठ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-405 कल्याण अपार्टमेंट, सेक्टर 24 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9214 दिनांक-18.02.2019 के सापेक्ष सुपार्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गोता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7406

7951

98-99

उपग्रो/

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी स्व० भगवान गुप्ता,

सेवानिवृत्त

अधीक्षक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पीपीओओ संख्या	619 दिनांक 25.02.1999
(ग)	जन्मतिथि	10.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजरानी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.09.1947
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	30.06.1998 / 10.09.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7406

7951

98-99

उपग्रो/ दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी स्व० भगवान गुप्ता, सेवानिवृत्ति अधीक्षक अभियन्ता, पता-19/329 इन्दिरा नगर, लखनऊ-226018।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक 9217 दिनांक 19.02.2019 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उप



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7408

7930

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपी०ओ० संख्या	636 दिनांक 16.03.1999
(ग)	जन्मतिथि	16.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.08.1942
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/21350-23975/6300-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 15
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7408

7930

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री विनोद कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता, पता-एच 2/81/ डी मानसरोवर, एल०डी०ए० कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9219 दिनांक 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

अधिरासी अभियन्ता (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7423

9866

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दया शंकर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2625 दिनांक 20.05.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनिल पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि	30.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24615
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20979
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 73773
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 73773
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 70137/-दि०-30.06.2019 तक तदपुरान्त 73773/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7423

9866

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर।

2 श्री दया शंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्ता अधिशाली अभियन्ता, पता-शातम 90 इ-कम टेक्स हाउसिंग सोसाइटी, विनायकपुर, कानपुर-208024।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 9233 दिनांक-17.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्रीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7428

10130

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शमसुल हई

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2854	दिनांक 30.10.2004
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बेबी किरन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1956
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 66510 दि० 30.01.2020 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7428

10130

04-05

उ०म०प्र० / दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री शमसुल हई, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल०आई०जी० 24.29 इन्द्रा नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक 9238 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

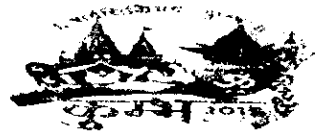


उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7430

7970

98-99

उपग्रो /

दिनांक-17.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, रामपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुकुन्द लाल आहूजा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	666 दिनांक 20.04.1999
(ग)	जन्मतिथि	12.10.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लाजवन्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 15,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36,930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 12310 दि०-12.10.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7430

7970

98-99

उपग्रो /

दिनांक-17.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर।
2. श्री मुकुन्द लाल आहूजा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मो-10-ए-25, न्यू आवास विकास कालोनी, रामपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार रामपुर को प्रेषित पत्रांक 9240 दिनांक 18.02.2019 के साथै सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, देवराइल, उपग्रोपाविकाशलि०, शांति गवन, लखनऊ।

गोता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति नंदन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7435

7975

1998-1999

उ०प्र०/

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्रीमती बिलमा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	672 दिनांक 26.04.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिलमा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.01.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1998/07.08.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,76,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 52950
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7435

7975

1998-1999

उ०प्र०/

दिनांक-16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

2. श्रीमती बिलमा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्ता मुख्य अभियन्ता, पता-एच०-410, शास्त्री नगर, मेरठ-4, एल०एल०आर०एम० मेड० कॉलेज, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9245 दिनांक-17.02.2019 के सापेक्ष समस्त कार्यवाही कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7437

7355

95-96

उ०प्र०/

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम मनोहर लाल दीक्षित

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2 दिनांक 23.11.1995

(ग) जन्मतिथि

15.07.1937

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती कृष्णा दीक्षित

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.1995

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

6,300

(ङ) मूल पेंशन

23150

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 13

(ख) निर्धारित वेतन

1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

65550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

65550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

65550

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

65550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

39330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

दि० 15.07.2017 से 13110

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7437

7355

95-96

उ०प्र०/ दिनांक: 16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम मनोहर लाल दीक्षित, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता पता-5/105, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9247 दिनांक: 16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7438

7910

1998-1999

उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रतन श्रीवास्तव पत्नी स्व० अशोक
कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

535 दिनांक 28.09.1998

(ग) जन्मतिथि

09.07.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रतन श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.04.1949

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.1998/01.08.2008

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

17,750

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7438

7910

1998-1999

उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन बिस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती रतन श्रीवास्तव पत्नी स्व० अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ता सहायक लेखाधिकारी, पता-1/250, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9248 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7442

7686

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

इस कार्यालय के द्वारा

पूर्व के निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 6744 दि० 01.02.2019 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव पाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	355 दिनांक 17.10.1997	
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का	₹	दि० 02.07.2019 से ₹ 14850

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7442

7686

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री शिव पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-एम०एल०-17, रोक्ट-एल, अलीगंज, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9252 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7453

7946

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुजफ्फर अली

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1482 दिनांक 24.07.2001

(ग) जन्मतिथि

31.10.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रशीदा खातून

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.1998

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे-5400

(घ) वेतन

₹

10,475

(ङ) मूल पेंशन

₹

11839

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

1746

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

10093/- दि०-24.10.2016 तक तदुपरान्त 11839/-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

3143

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

10 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

65,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

32500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

32500

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

1746

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

30754/- दि०-24.10.2016 तक तदुपरान्त 32500/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

19500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7453

7946

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।

2 श्री मुजफ्फर अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मोहल्ला, शीदी सराय, राजोवाली गली, मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मुरादाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 9263 दिनांक-18.02.2019 के समक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7454

7184

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नन्दू राम

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9780 दिनांक 15.12.1994	
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1936
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1994
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	15.01.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त 13120/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

रेड

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7454

7184

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री नन्दू राम, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-5/349-ए, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9264 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7455

7634

1997-1998 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शारदा बक्श सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिर्वर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

327 दिनांक 10.09.1997

(ग) जन्मतिथि

30.06.1939

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निर्मल सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

03.02.1947

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1997

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000

(घ) वेतन

₹

19,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27350

(च) पेंशन का राशिकृत माग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,48,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

74250

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

74250

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

74250

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44550

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

30.06.2019 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त 14850/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7455

7634

1997-1998 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री शारदा बक्श सिंह, सेवानिवृत्ता अधिशाली अभियन्ता, पता-9-आरामबाग, निकट मांती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9265 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष समुचित कार्यवाही कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7457

7950

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मुमताज बानो पत्नी स्व० इतरत हुसैन

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1226 दिनांक 23.11.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मुमताज बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.06.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998 / 31.08.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7457

7950

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मुमताज बानो पत्नी स्व० इतरत हुसैन, सेवानिवृत्ता सहायक लेखाधिकारी, पता-4/6सी, शाहिद, अपार्टमेंट, गोला गंज, लखनऊ, अमीनाबाद मार्ग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9267 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7458

7937

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राबिया बेगम पत्नी स्व० उसमान अली

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	577 दिनांक 19.12.1998
(ग)	जन्मतिथि	13.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राबिया बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.12.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998 / 19.04.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड-पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10780
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7458

7937

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्रीमती राबिया बेगम पत्नी स्व० उसमान अली, सेवानिवृत्ता लेखाधिकारी, पता सी-68, जे-पार्क, महानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9268 दिनांक-19.02.2019 के सप्लस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

उ० प्र० पा०, लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा०, लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7459

7933

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चरणजीत सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	591 दिनांक 12.01.1999
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हरबंश कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 21,875
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(क)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7459

7933

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर।
- श्री चरणजीत सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता 7, फील्ड होस्टल, विद्युत कालानी, गोविन्दनगर कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 9269 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

अंकित भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8162

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/02/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3956 दिनांक 08.03.2007
(ग)	जन्मतिथि	09.08.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.05.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27076
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3009
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24067
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3009
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 71241/- दि० 06.12.2016 तक तदुपरान्त ₹0 74250/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7477

8162

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9/2/35/, वैशाली, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
अधिशासी (पेंशन)
उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०
जयपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
A Government Undertaking

पंशन BENSON CIN 18322011P1999SGC024928



पत्र सं०

11012

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 15.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रवेश चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3704	दिनांक 26.08.2006
(ग)	जन्मतिथि		21.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रंजना अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.10.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	61,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30425
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5370
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	25055
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18255
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5370
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	75780
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7481

11012

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री प्रवेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-5 ए, प्रभु वाटिका, स्वरूप नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मन्मथ सोहन
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)



Pension PENSION NO. 1322011P/1999SGC024928

पत्र सं०

13729

2015-2016

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 15.02.17

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6826 दिनांक	03.08.2015
(ग)	जन्मतिथि		05.05.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आभा सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.06.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	76,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38425
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15370
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23055
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 38425/-दि० 04.05.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23055
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15370
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84430
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 99800/-दि० 04.05.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7462

13729

2015-2016

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-20/245 ए इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महोदय (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

मेशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11631

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 15/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोक नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5644	दिनांक 31.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमला रानी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.06.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	₹ 35860/- दि० 20.07.2010 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13032
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22828
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13032
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81068
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11631

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री त्रिलोक नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-म०न०-551 क/392/1, ओम नगर, मिलाँवा, आलमबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8275

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 15-02-2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती वीना अग्रवाल पत्नी स्व० विजय सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

922 दिनांक 10.02.2000

(ग) जन्मतिथि

02.01.1942

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती वीना अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.08.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2000 / 16.12.2016

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8700

(घ) वेतन

₹

18,650

(ङ) मूल पेंशन

₹

24,295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

2,994

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21,301

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67,500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)

₹

67,500

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

2,994

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें

₹

64,506

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40500 दि० 17.12.2016 से अग्रेतर

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7487

8275

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती वीना अग्रवाल पत्नी स्व० विजय कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता, पता 488/110 जैन मंदिर के पीछे, सीतापुर ब्रांच रोड, डालीगंज, पो० निरालानगर, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक 13/01/18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

13/01/18

13/01/18

13/01/18

13/01/18



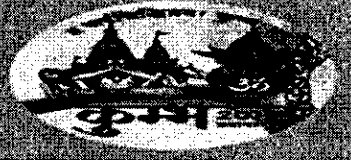
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० संपत्ति का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

पेंशन PENSION C/D 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11122

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3890 दिनांक	30.12.2006
(ग)	जन्मतिथि		18.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती किरन गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7500

11122

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-4/374, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(विद्युत आपूर्ति निगम)

पेंशन PENSION (IN-11320) (1995-00) 7928



पत्र सं०

13403

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव शंकर त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सुरक्षा प्रहरी,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6355	दिनांक 05.02.2014
(ग)	जन्मतिथि		21.12.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विद्या त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.07.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800(8900) 4200
(घ)	वेतन	₹	21,380
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10690
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4276
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6414
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	₹ 10690/-दि० 20.01.2020 तक तदुपरान्त ₹ 6414/-
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	55,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	27800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4276
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	23524
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 27800/-दि० 20.12.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16680
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7502

13403

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री शिव शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सुरक्षा प्रहरी, पता-म०नं०-536/2/531 हनुमन्त नगर मदेयगंज खदरा, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पं० PENSION CIN-192201UP1999SG0074928



पत्र सं०

13860

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्योति सिंह पत्नी स्व० राजेश श्रीनेत

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6953 दिनांक 11.01.2016
(ग)	जन्मतिथि	11.12.1972
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्योति सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1975
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	03.11.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 48,920
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	19568
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14676
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	32 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 63400
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7503

13860

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री ज्योति सिंह पत्नी स्व० राजेश श्रीनेत, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-22, विवेकानन्द हार्डिल कालोनी, विवेकानन्द अस्पताल के पास, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

10205

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3024	दिनांक 28.02.2005
(ग)	जन्मतिथि		02.10.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-525-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹	22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4332
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27168
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,800
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4332
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	86568
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7505

10205

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-बी-118, से० गामा-प्रथम ग्रेटर नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध संपर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(M. K. Sharma)
लेखाधिकारी (पेंशन)
गौतमबुद्धनगर

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11121/06-07 दिनांक 2018 18.02.18

कोषाधिकारी,
कोषागार, गोरखपुर।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 4563 दि० 10.12.18 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राम सकल यादव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3993 17.05.2007
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सोना यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P 10000
(घ)	वेतन	Rs. 63,710.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 31,855.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 10,038.00
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,817.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,113.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 167,200.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,600.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,600.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 10,038.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 73,562.00
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 50,160.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-7506 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11121/06-07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर।

2. श्री राम सकल यादव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता-266बी, शक्ति नगर कालोनी, पो० आरोम्य मन्दिर, वसारातपुर पूर्वी, जनपद-गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION LINE U322010B1999SGC024928



पत्र सं०

8542

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18-2-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार हंगल

सेवानिवृत्त

निदेशक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1149 दिनांक 15.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	12.05.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	22400-24500/67000-79000
(घ)	वेतन	₹ 24,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 33500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमद्वारा तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	गासन की तालिका सं० 53
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 95550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 99550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7509

8542

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री अशोक कुमार हंगल, सेवानिवृत्त निदेशक, पता-बी-45 सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Power Corporation of India Limited

Government of India

पंजीकृत: १५/०१/२००२ (१९९८) १९९८/१९९८



पत्र सं०

9427

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्मेश्वर नाथ

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2201 दिनांक 09.04.2003
(ग)	जन्मतिथि	01.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमति गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.12.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4126
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22374
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4126
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 77024/- दि० 07.07.18 तक तदुपरान्त ₹ 81150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7510

9427

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यातायात खण्ड, हरदुआगंज विद्युत तापीय परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़।

2. श्री धर्मेश्वर नाथ, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-फैकल्टी रंजीडेन्स, ए०बी०ई०एस० इन्जीनियरिंग कालेज, एन०एच०-24 दिल्ली हापुड बाईपास रोड, गाजियाबाद-201009,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9677

03-04

उ०म०प्र० /

दिनांक- 18/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुपति राम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2453	दिनांक 26.12.2003
(ग)	जन्मतिथि		07.08.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विद्यावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23559
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2702
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20857
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	67443
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67443
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67443
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2702
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64741
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7519

9677

03-04

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-न्यूल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊ
- श्री रघुपति राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम-घरौली, पोस्ट मानकपुर हरहुआ (घोसी), जिला मऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मऊ को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-16.02.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लेखनक.।

लेखाधिकारी (पेंशन)



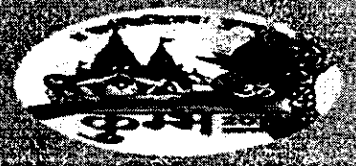
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पैन: PENSION/CI/1522010/1999560024928



पत्र सं०

6165

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० भूपाल सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6207 दिनांक	31.10.1987
(ग)	जन्मतिथि		04.10.1929
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		22400-24500/67000-79000
(घ)	वेतन	₹	7,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	43550
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	43550
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	26130
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	गासन की 53 नं० तालिका	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,82,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	₹ 91100/-दि० 11.12.2018 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 91100/-दि० 11.12.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	₹ 54660/-दि० 12.12.18 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से दि० 11.12.18 तक ₹ 27330/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7515

6165

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० भूपाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-242, सिविल लाइन्स, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U3220 U.P. 1999SGC024928



पत्र सं०

8297

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि शंकर शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1011 दिनांक 10.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजय शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.11.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 76413
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 76413
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ 76413
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7516

8297

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।

2 श्री हरि शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-697 पार्क लेन, श्रीनगर, हापुड़, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

हापुड़

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MAV-18/11/18
18/12/18
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: 032201UP1999SGC02492E



पत्र सं०

8137

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

18/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

देहरादून

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवीन्द्र प्रकाश आर्य

सेवानिवृत्त

मुख्य
अभियन्ता-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	783	दिनांक 25.08.199
(ग)	जन्मतिथि		07.07.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रभा आर्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.05.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		63000-78000
(घ)	वेतन	₹	22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7517

8137

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, 359/2-धर्मपुर, देहरादून।

2. श्री रवीन्द्र प्रकाश आर्य, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, पता-741 इन्द्रानगर कालोनी, पो०आ० न्यूफारेस्ट, देहरादून।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार देहरादून को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक संख्या
लेखाधिकारी (पेंशन)
दिनांक 18/2/19
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9566

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2265 दिनांक 24.06.2003
(ग)	जन्मतिथि	26.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेह लता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.02.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23,050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3,147
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19903 दि० 30.08.2018 तक तदुपरान्त 23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63,400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 62,440
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61,550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 62,440
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 62,440
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3,147
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 59293 दि० 30.08.18 तक तदुपरान्त 62440 अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38,040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7519

9566

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 2/135, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 11977 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 20-02-19
कोषाधिकारी, कोषगार,
कानुपर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोजनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4875	दिनांक	04.05.2010
(ग) जन्मतिथि			05.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सरोजनी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			28.12.1955
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			09.11.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ) वेतन	₹		62,160
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 31080/- दि० 14.07.2015 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18648
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		0	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०		
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 80650/- दि० 01.01.2016 से दि० 08.11.2019 तक	
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषगार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7527 11977 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. उप मुख्य लेखाधिकारी, 14/71, सिविल लाइन, केस्को, कानपुर।

2. श्रीमती सरोजनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 140 बी, बंगला मंगला विहार प्रथम, कानपुर, तहसील कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषगार कानुपर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कनार

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पं० नं० 1322011UP1999SGC024928



पत्र सं०

12807

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोती लाल चौबे

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5852 दिनांक 08.10.2012
(ग)	जन्मतिथि	27.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा चौबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.06.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7528

12807

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री मोती लाल चौबे, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-1/35, बहार ए. सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(U.P. Power Corporation Ltd.)

(U.P. Power Corporation Ltd.)

INDEPENDENT BANKING UNIT 99950024928



पत्र सं०

6313

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वी० पी० गर्ग

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3170 दिनांक	25.07.2005
(ग)	जन्मतिथि		11.01.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		-
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		-
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		5900-7100/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33939 (26107+30 प्रतिशत अति०)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	33939
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15665
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		63 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	68823
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 30 प्रतिशत अति० रू० 21630/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7529

6313

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2 श्री वी० पी० गर्ग, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-एफ०-66ए, प्रथम तल ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



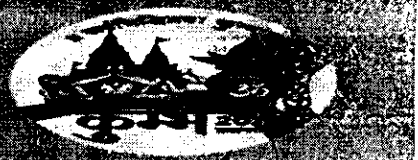
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(होम - सफाई का विभाग)

पता: पुराना बस स्टेशन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

उ० प्र० पा० कार० लि० का पत्र सं० ७५३०

पत्र सं० 6227 1988-1989 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 20-02-19



पत्र सं०

6227

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुगनी देवी पत्नी स्व० कुबेर प्रसाद सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9293/2191

दिनांक

27.05.1993/21.09.2010

(ग) जन्मतिथि

लागू नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुगनी देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1935

2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.1988/21.09.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 (8900)

(घ) वेतन

₹

5,750

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

₹ 13890+2778 20प्रतिशत अति०

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

39330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹ दि० 01.01.16 से दि० 31.12.19 तक 20 अतिरिक्त ₹ 7866/- दि० 01.01.20 से 30 प्रतिशत अति० ₹ 11799/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7530

6227

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्रीमती सुगनी देवी पत्नी स्व० कुबेर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-सी-103/61 बी, चित्रकूट, रामगढ़ ताल के पास, पोस्ट रेलवे कालोनी, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6230

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

सोनमद्र

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती खादिजा बेगम पत्नी स्व० जहीर बेग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6763 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	27.05.1989
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती खादिजा बेगम
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.10.1929
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.01.1985
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	चतुर्थ वेतनमान
(घ)	वेतन	1025-1845/2600-4000/15600-39100(5400)
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 3,875
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6754
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹

दि० 01.01.16 से दि० 30.09.19 तक 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 6399/-दि० 01.01.19 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 8532/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7531

6230

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी (तुरी), सोनमद्र।
- श्रीमती खादिजा बेगम पत्नी स्व० जहीर बेग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद्र को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सत्यापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11607

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिश्चन्द्र

सेवानिवृत्त

कार्यालय
सहायक-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4487 दिनांक	04.07.2009
(ग)	जन्मतिथि		18.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पन्ना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		9300-34800 (5400)
(घ)	वेतन	₹	28,890
(ङ)	मूल पेंशन	₹	14445
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5066
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9379
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8667
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	75,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	37800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	37800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5066
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	32734
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22680
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7533

11607

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हरिश्चन्द्र, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय, पता-सेक्टर-14, नील बिहार-15-ए, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श, कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

लखीमपूर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० उमेश प्रसाद श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	2705 / 3891	दिनांक 31.07.2004 / 24.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शोभा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		13.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त / दिवंगत तिथि		31.07.2002 / 04.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

14 तालिका सं०	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)
(ख)	निर्धारित वेतन
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)
(ङ)	राशिकृत पेंशन
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7534

9305

2002-2003

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांश अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर।

2 श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-कपूरथला निकट सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखीमपुर-खीरी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखीमपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाठका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेशवा)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सार्वजनिक सेवा विभाग)

पुनर्निर्माण विभाग

पं.सं. 12325/2010-2011/उ०प्र०/लेखा/पेंशन



पत्र सं०

12325

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम जी राम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5184	दिनांक 24.02.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामप्यारी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.09.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7535

12325

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री राम जी राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- प्लाट नं०-162, रमरेपुर बजरंग नगर कालोनी, लेन नं० 5, दौलतपुर रोड, पान्डेपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CINE D32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11309

07-08

उ०म०प्र०/

दिनांक- 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र नाथ कुदेसिया

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4171	दिनांक 16-05-08
(ग)	जन्मतिथि		05-05-48
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा कुदेसिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-05-06
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	143,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7537

11309

07-08

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री सुरेन्द्र नाथ कुदेसिया, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता दुर्गा मन्दिर के सामने, मु० काशीनगर, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ..।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Public Undertaking)

PEN PENSION (सं० 03/22/0) 1999SGC024228



पत्र सं०

11258

2007-2008

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री छेदी राम

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4122 दिनांक 08.01.2008
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4697
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19598
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4697
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64853
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7538

11258

2007-2008

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री छेदी राम, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता- मलाक रोड, निलमथा कैंट, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11189

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक- 20-02-19

कोषाधिकारी,
कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुशील कुमार

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3959	दिनांक 14.03.07
(ग)	जन्मतिथि		12-08-48
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनीता गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30-01-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-06
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(33प्रति० दण्ड के पश्चात) 21343
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	10301
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	56012
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11042
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	44970
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7539

11189

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

2. श्री सुशील कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता सी-47 वैशाली रोड, गढ़ कालोनी, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

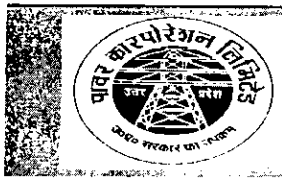
अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Under Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201011099SC00749281



पत्र सं०

10784

05-06

उ०प्र०/

दिनांक- 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा सागर शुक्ल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3440 दिनांक 18.02.2006
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू लता शुक्ला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24511
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2705
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21590
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2705
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66845
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7540

10784

05-06

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री गंगा सागर शुक्ला, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 13/514, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विशेष नमूना

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government's Undertaking)

पेंशन PENSION CINE 052/0101/1995SC02492B



पत्र सं०

7250

1994-1995

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द कृष्ण सक्सेना

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	26 दिनांक	04.01.1996
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1936
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रुक्मणी सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.12.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1994
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		4250-5600/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	4.875
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		61 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	56888
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹	61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.07.2016 से ₹० 12310/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7541

7250

1994-1995

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्री आनन्द कृष्ण सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-67, इन्कम टैक्स हाउसिंग सोसाइटी, विनायकपुरम, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विप्रेषण

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०

कोषागार



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8445

2000-01

उ०म०प्र० /

दिनांक- 20-02-10

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4817 दिनांक 20.03.2010
(ग)	जन्मतिथि	21.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18086
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2000@02-06-2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 157,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7542

8445

2000-01

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 पता सी-48, चन्द्र नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

1942-2005 के मंगलमोहनामिका

(विद्युत निगम का उपक्रम)

पंजीकरण संख्या: 132/2010/1999SGC024529



पत्र सं०

10211

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुष्कर नाथ श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3090 दिनांक	29.04.2005
(ग)	जन्मतिथि		26.05.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विनीता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2750
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21545
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2750
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64750
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7543

10211

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री पुष्कर नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 1/40, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य के स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पंशन REGISTRATION NO. 2201UP1899SGC024928



पत्र सं०

12327

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुनील चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5291	दिनांक 27.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सत्यवती श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7544

12327

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुनील चन्द्र, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता- फ्लैट नं०-504 पॉंचवा तल, सैलेटियर-प्रथम, ब्लाक एन्डिको इन्डेन पार्क इस्टेट, कुर्सी रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

विमलेश

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Power Corporation Limited)

पेंशन PENSION CIN-052201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6294

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज सहाय पत्नी स्व० जगदीश सहाय

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8911 दिनांक 22.06.1942
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज सहाय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1934
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ ₹0 17492 (14577+20 प्रतिशत अतिरिक्त)
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 09.01.19 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹0 7866/-दि० 10.01.19 से 30 अतिरिक्त ₹0 11799/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7545

6294

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती सरोज सहाय पत्नी स्व० जगदीश सहाय, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-एच०आई०जी०-75, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIRCULAR 2201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10792

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवव्रत शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3511 दिनांक 31.03.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मिथलेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अज्ञित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14597
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7546

10792

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2 श्री देवव्रत शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं० 37 खुन्नाथ नगर कालोनी, महमूरगंज, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6224

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शारदा वर्मा पत्नी स्व० शोमा राम वर्मा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9684 दिनांक 18.07.1994
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.01.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	09.03.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2225-3500/9300-34800 (4200)
(घ)	वेतन	₹ 3,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5391
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 66,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 19800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7548

6224

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती शारदा वर्मा पत्नी स्व० शोमा राम वर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-सी०-4, तिलक नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



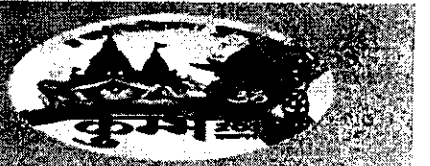
उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो सरकार काम लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन/PENSION CINDS 2011UP1990SG024928



पत्र सं०

6388

1989-1990

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुरारी लाल शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8780	दिनांक 19.02.1992
(ग)	जन्मतिथि		11.03.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2225-3500/9300-34800(4800)
(घ)	वेतन	₹	3,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11269
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	11269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6762
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	8 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	62,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	31100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	31100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायें	₹	31100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7549

6388

1989-1990

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्षोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।
- 2 श्री मुरारी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-70 भगवत गढ़ रोड, तहसील जिला-मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें

विमलेष कर्मार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, मेरठ

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो/पा०/का०/लि०, शक्ति भवन, लेखनखण्ड



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0)
UPPCL - Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पैन PENSION CN/032201UP1999SGC074928



पत्र सं0

6301

88-89

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती फूल मार्गव पत्नी स्व0 एम0एल0 मार्गव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	6925 दिनांक 06.11.1989
(ग)	जन्मतिथि	12.08.1997
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती फूल मार्गव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.1936
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1989/11.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 6,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ ₹0 18657
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि0 15.08.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹0 8652/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7550

6301

88-89

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।

2. श्रीमती फूल मार्गव पत्नी स्व0 एम0एल0 मार्गव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-304 प्रमायमूस सालीमार टाउनशिप एबी0 रोड, इन्दौर एम0पी0-452010.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का संपत्ति)

U.P. Power Corporation Limited

(संयुक्त राज्य भारत)

पेंशन PENSION NUMBER 03220010209950024926



पत्र सं०

11175

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.02.17

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व० प्रेम नाथ

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3941 दिनांक 20.02.2007
(ग)	जन्मतिथि	05.07.1963
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.03.1965
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	17.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 23,530
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 11756/-दि० 16.09.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	7059
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	33/40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 25287/-दि० 16.09.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	18390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7551

11175

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व० प्रेम नाथ, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-म०नं०-502/41 मुकारिम नगर डालीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पैन PENSION/NO/182201UP1999SGC074928



पत्र सं०

12310

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: २०.१२.१९

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आशिष किशोर मित्तल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5288	दिनांक 26.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		21.11.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निलिमा मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.02.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7552

12310

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री आशिष किशोर मित्तल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- जी-1-9/2/07, वैशाली निकट जज कालोनी, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष तत्पक्ष स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सारका का उपक्रम)

UPR Power Corporation Limited
(A Company incorporated in India)

PAN PENSION C/N 132/2011UPR499SGC024928



पत्र सं०

9918

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

औरैया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3410 दिनांक	31.01.2006
(ग)	जन्मतिथि		06.09.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लौंग श्री द्विवेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295 दि० 14.05.15 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7554

9918

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, औरैया।

2. श्री बृजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- जमाल शाह के पास, ओम नगर, औरैया-2061224,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार औरैया को प्रेषित पत्रों का

दिनांक

के सापेक्ष समीक्षा कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० क० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 12391 10-11 उ०म०प्र०/ दिनांक-20.2.19

कोषाधिकारी,
कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री झूरी राम पाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5252	दिनांक	26.04.2011
(ग) जन्मतिथि			10-01-51
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्री उर्मिला पाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-01-11
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	₹		64.030
(ङ) मूल पेंशन	₹		32015
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32015 दि० 09.01.16 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19209
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		166,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		83050
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83050
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		12806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		70244 दि० 26.07.26 तक तदुपरान्त 83050
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		83050 दि० 09.01.16 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		49830
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7555 12391 10-11 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, वाराणसी

2. श्री झूरी राम पाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म० नं० बी-38/211-2ए, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, देबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पं.सं. PENSION CIN-032201UR1999SGC024928



पत्र सं०

12393

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक- 20.08.2011

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रेनु पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल
किशोर पाण्डेय सेवानिवृत्त अधिशासी
अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5408 दिनांक 20.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेनु पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03-07-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	16-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 36940
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96900 दि० 16.12.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7556

12393

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती रेनु पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल किशोर पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता पता द्वारा श्री बी०के० दीक्षित, बी-156, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

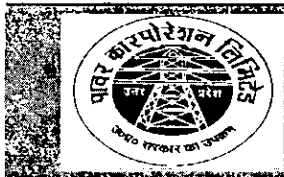
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमर्श

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पैन PENSION CINC U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12392

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओमपाल सिंह तोमर

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6325	दिनांक 31.12.2013
(ग)	जन्मतिथि		01-07-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आदेश तोमर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(3 प्रति० दण्ड के पश्चात) 34785
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12059
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22726
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		34785
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(3 प्रति० दण्ड के पश्चात) 91277
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12059
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	79218 दि० 01.07.29 तक तदुपरान्त 91277
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7558

12392

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री ओमपाल सिंह तोमर, अधिरासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता वी-40 एच०आई०जी० दुप्लेक्स, संजय नगर सेक्टर-23, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN:U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6023

1986-1987

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.2.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा भटनागर पत्नी स्व० सतीश चन्द्र भटनागर सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9296	दिनांक 29-05-1993
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा भटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		21.07.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1986/12.02.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000
(घ)	वेतन	₹	6,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7559

6023

1986-1987

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती पुष्पा भटनागर पत्नी स्व० सतीश चन्द्र भटनागर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-1/112, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समय स्थिति पर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



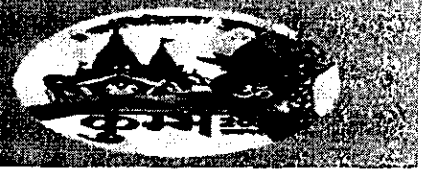
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपकरण)

पिन कोड: 805001, नगर: गौतमबुद्धनगर

पिन कोड: 805001, नगर: गौतमबुद्धनगर

पिन कोड: 805001, नगर: गौतमबुद्धनगर



पत्र सं०

9415

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.12.13

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र वर्मा

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2270 दिनांक 28.06.2003
(ग)	जन्मतिथि	08.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कविता वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.06.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4054
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23296
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2-प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4054
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 75867
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7560

9415

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचमौचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री सतीश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-सेक्टर-37, म०नं०-1585, अरुण बिहार, नोएडा,गौतमबुद्धनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

18/12/13
लेखाधिकारी (पेंशन)
गौतमबुद्धनगर

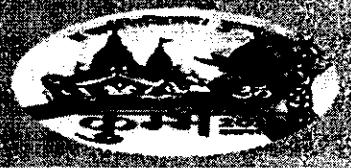


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Public Enterprise of India)

पेंशन PENSION (N.N. 08/2010/UP/1999/002/928)



पत्र सं० 6368 1989-1990 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: २०.१२.१९

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण देव कालिया सेवानिवृत्त अधिशासी अमियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6942 दिनांक	27.01.1989
(ग)	जन्मतिथि		20.07.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	रु० 29154 (24295+20 प्रतिशत अतिरिक्त)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	29154
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 30 प्रतिशत अति० रु० 13110/- दि० 01.07.16 से 30 प्रतिशत अति० रु० 19665/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7561 6368 1989-1990 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अमियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री कृष्ण देव कालिया, सेवानिवृत्त अधिशासी अमियन्ता, पता-3/371 विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्मृति कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशासी अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



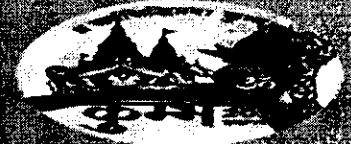
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Power Corporation Limited)

PENSION OR 1982/2011/1998/56/02/228



पत्र सं०

9460

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-2-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनय कान्त शुक्ला

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4098 दिनांक 12.11.2007
(ग)	जन्मतिथि	15.08.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ती शुक्ला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.09.1949
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 22819
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2553
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20266
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2553
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 62747
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7563

9460

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री विनय कान्त शुक्ला, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-सी/1705, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पैन PENSION CN 1822010R1999500024928



पत्र सं०

7845

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधा रावत पत्नी स्व० मोहन सिंह रावत सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	567 दिनांक 28.11.1998
(ग)	जन्मतिथि	15.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा रावत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.03.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1998/02.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7564

7845

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्रीमती राधा रावत पत्नी स्व० मोहन सिंह रावत, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-सी-24, लोहिया नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6215

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

20-2-13

कोषाधिकारी, कोषागार,
बस्ती

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० राम प्रसाद चौधरी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8520 दिनांक 26.07.1991
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सरस्वती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.01.1934
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1988 / 12.03.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/4300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 5,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से दि० 31.12.18 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 7386/- दि० 01.01.19 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 11079/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7565

6215

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।
- श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० राम प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कोल्ड स्टोरेज के पीछे रौता चौखर, गाँधी नगर, बस्ती।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बस्ती को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION IN U.P. 220/UP/1999SG002/928



पत्र सं०

6350

1989-90

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.2.13

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र चन्द्र कौशिक

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6854 दिनांक 20.09.1989
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विद्या कौशिक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.01.1934
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ ₹ 20575+20 प्रतिशत अतिरिक्त
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24690
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 69916
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से दि० 31.08.16 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 14420/- दि० 01.09.2016 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 21630/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7566

6350

1989-90

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री सुरेन्द्र चन्द्र कौशिक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-18/443 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त कर

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट-उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० प्रावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० साकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Public Limited Company)

Registration No. 137701MB/00024972



पत्र सं०

6264

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० एस०एन० सिंह सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7057 दिनांक 13.02.1990 82947
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दुर्गावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1933
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 6,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19629
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7567

6264

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० एस०एन० सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-7/20 लिडिल रोड, जार्ज, टाउन, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० प्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सांरदार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Owned Company)

PENSION DIVISION (UP) 1995-60024928



पत्र सं०

11972

09-10

उ०म०प्र०/

दिनांक- 20.2.13

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वयं प्रकाश

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4933	दिनांक 16.06.10
(ग)	जन्मतिथि		10-05-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-12-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-05-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7570

11972

09-10

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्री स्वयं प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 47/1, मुराबाद, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ